उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 013

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	44
दिनाँक	:	10 अप्रैल, 2017
समय	:	अपराह्नः 3:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 10–04–2017 को अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 44वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. संतोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
9.	डॉ. श्रुति, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
10.	डॉ. मुकेश कुमार असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	श्री एस.पी. सिंह वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रित

12. डॉ. आर.के. पाण्डेय — सदस्य–सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(1) प्रो. राजेन्द्र प्रसाद,
कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
(2) डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा
(3) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
(4) प्रो. के.एस. मिश्र,
डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
(5) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
(6) डॉ. टी.एन. दुबे,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 44.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 21–11–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 21–11–2016 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या** 34-83 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली की बैठक दिनाँक 21–11–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 44.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 21–11–2016 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 21–11–2016 लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
41.01	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 02–09–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
41.02	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 02–09–2016 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
41.03	विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) Policy के अन्तर्गत विभिन्न विद्या शाखाओं से ऑन लाइन एवं प्रिण्ट स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने हेतु Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA) को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत होना।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) Policy के अन्तर्गत विभिन्न विद्या शाखाओं से ऑन लाइन एवं प्रिण्ट स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने हेतु Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA) को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
41.04	पी–एच.डी. कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया/दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने पी–एच.डी. कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया/दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1480/2017

			दिनाँक 18–01–2017 को प्रभारी, शोध अनुभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
41.05	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पी–एच.डी. कार्यक्रम के निर्देशन हेतु अर्ह शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों की सूची पर विचार।	विद्या परिषद् ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पी–एच.डी. कार्यक्रम के निर्देशन हेतु अर्ह शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों की सूची को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1768/2017 दिनाँक 04–03–2017 द्वारा समस्त निदेशकों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
41.06	विश्वविद्यालय की मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय की मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार अंग्रेजी विषय में परामर्शदाता के पद का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 12/2016 दिनाँक 29–12–2016 द्वारा कराया जा चुका है। चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
41.07	विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार पर्यावरण

			अध्ययन विषय में परामर्शदाता के पद का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 12/2016 दिनाँक 29–12–2016 द्वारा कराया जा चुका है। चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
41.08	विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित योग कार्यक्रम की प्रगति से अवगत होना।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित योग कार्यक्रम की प्रगति से अवगत हुई तथा विद्या परिषद् ने मानविकी विद्या शाखा द्वारा प्रस्तुत (संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या 114-121) योग में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा चलाये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1496/2017 दिनाँक 19–01–2017 द्वारा द्वारा निदेशक, मानविकी विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
41.09	विश्वविद्यालय में पी–एच.डी. प्रवेश सत्र 2016 के सम्बन्ध में नेट/जे.आर.एफ. एवं प्रवेश परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की योग्यता के निर्धारण हेतु शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में पी–एच.डी. प्रवेश सत्र 2016 के सम्बन्ध में नेट/जे.आर.एफ. एवं प्रवेश परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की योग्यता के निर्धारण हेतु शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
41.10	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में स्थित छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन हेतु विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो स्थापित किए जाने	विद्या परिषद् उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में स्थित छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन हेतु विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो स्थापित किए जाने हेतु की	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

	हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	गयी कार्यवाही से अवगत हुई।	
41.11	विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की स्व अध्ययन सामग्री निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की स्व अध्ययन सामग्री निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
41.12	विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में शिक्षार्थी के माता/पिता/पति का नाम दोनों भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में मुद्रित कराये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में शिक्षार्थी के माता/पिता/पति का नाम दोनों भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में मुद्रित कराये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी./(38–86)/ 1481/2017 दिनाँक 18–01–2017 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।
41.13	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में अधिक पारदर्शिता के दृष्टिगत सत्र जुलाई 2017–18 से प्रवेशित शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् फोटो युक्त उपाधि मुद्रित किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में अधिक पारदर्शिता के दृष्टिगत सत्र जुलाई 2017–18 से प्रवेशित शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् फोटो युक्त उपाधि मुद्रित किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1482/2017 दिनाँक 18–01– 2017 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

41.14	छात्र/छात्राओं को प्रदान किए जाने वाले अंक पत्रों एवं उपाधियों पर विश्वविद्यालय के आधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने तथा डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अंक पत्र एवं उपाधि को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने पर विचार	विद्या परिषद् ने छात्र/छात्राओं को प्रदान किए जाने वाले अंक पत्रों एवं उपाधियों पर विश्वविद्यालय के आधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने तथा डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अंक पत्र एवं उपाधि को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1483/2017 दिनाँक 18–01–2017 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
41.15	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 2012 में मानवाधिकार शिक्षा पर उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 916/सत्तर–1–2016 दिनाँक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में कार्यवाही पर विचार।	विद्या परिषद् ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 2012 में मानवाधिकार शिक्षा पर उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 916/सत्तर–1–2016 दिनाँक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में प्रभारी, समाज विज्ञान विद्या शाखा को कार्यक्रमों के प्रारूप तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। सम्बन्धित प्रकरण विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 10–04–2017 के संकल्प संख्या 44.11 में प्रस्तुत किया गया है।
41.16	दिनाँक 07 सितम्बर, 2016 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
(1)	सत्रांत परीक्षा दिसम्बर 2014 के सापेक्ष अमूल्यांकित अधिन्यास/ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्र दिसम्बर 2014 के मेरठ क्षेत्रीय केन्द्र के अतिरिक्त ऐसे समस्त परीक्षार्थियों के जो निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर अपने कार्यक्रम की अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं को जमा किर दिये थे, की जानकारी सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र से प्राप्त करने एवं	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1495/2017

		उनके मूल्यांकन हो जाने के की पुष्टि के उपरान्त ही उनकी सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय। यदि किसी परीक्षार्थी की अधिन्यास उत्तर पुस्तिका निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर जमा होने के उपरान्त भी अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न हुआ या किसी परीक्षार्थी के द्वारा जमा की गई अधिन्यास उत्तर पुस्तिका के न मिल पाने की स्थिति में साक्ष्य के साथ परीक्षार्थी से पुनः अधिन्यास कार्य पूर्ण कराकर उन्हें सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं के साथ मूल्यांकन कराते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 19–01–2017 द्वारा को परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
(2)	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रथम एंव द्वितीय वर्ष के अंकपत्र को निर्गत किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परास्नातक कार्यक्रम के शिक्षार्थियों को उनके द्वितीय वर्ष एवं स्नातक कार्यक्रम के शिक्षार्थियों को उनके तृतीय वर्ष के पूर्ण अंक–पत्र की हार्ड कापी उपल्बध करायी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी विभाग/संस्था द्वारा रोजगार के परिप्रेक्ष्य में लिखित रुप से अनुरोध किया जाता है तो सम्बन्धित परीक्षार्थी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र की हार्ड कापी को निर्गत किया जा सकता है। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1494/2017 दिनाँक 19–01–2017 द्वारा को परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3)	एकल विषय के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उनकी उपाधि निर्गत किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एकल विषय के ऐसे लगभग 35000 समस्त उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रारुप में उपाधि के स्थान पर प्रमाण–पत्र व Degree के स्थान पर Certificate को संशोधित करते हुए एवं सम्बन्धित परीक्षार्थियों से उनके स्नातक कार्यक्रम को पूर्ण करने के साक्ष्य प्राप्ति के उपरान्त ही निर्गत करने की सहमति दी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1493/2017 दिनाँक 19–01–2017 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(4)	परीक्षा केन्द्रों पर पालीवार परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आन्तरिक उड़ाका दल एंव जनरेटर की व्यवस्था किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी परीक्षाओं हेतु आन्तरिक उड़ाका दल के स्थान पर Inter Centre प्रक्रिया के तहत इस कार्य को कराया जाय एवं उनसे सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापक/प्राचार्य द्वारा प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए प्रस्तुत किया जाय। ऐसे प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षकों के द्वारा भी प्रस्तुत किये जायें। परीक्षा समिति ने जनरेटर की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रकरण पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बिल के साथ पर्याप्त प्रमाण यथा जनरेटर होने का प्रमाण एवं लागसीट प्रस्तुत किये जायें। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1492/2017 दिनाँक 19–01–2017 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(5)	अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के सापेक्ष Award List पर अंक प्राप्त हो जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाय एवं सम्बन्धित परीक्षकों के भुगतान को रोक दिया जाय यदि भुगतान हो गया हो तो विश्वविद्यालय नियमानुसार उसे वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाय। ऐसे परीक्षको को आगामी परीक्षाओं हेतु रोक लगाते हुए भविष्य में इनसें किसी भी प्रकार के मूल्यांकन का कार्य न कराया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1491/2017 दिनाँक 19–01–2017 द्वारा को परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
(6)	विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र (एस–478) के कतिपय शिक्षार्थियों को अलग–अलग वर्षों हेतु एक ही कार्यक्रम के लिये भिन्न–भिन्न नामांकन संख्या आवांटित कर दिया गया है, से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे शिक्षार्थियों के नामांकन हेतु प्रवेश प्रभारी एवं परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालते हुए शिक्षार्थियों के परीक्षाफल को घोषित कर दें। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1490/2017 दिनाँक 19–01–2017 द्वारा को परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
(7)	छात्रा सुश्री अर्चना भारती के UGST-05 की उत्तर पुस्तिका पर औसत अंक के निर्धारण से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।	*परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा अर्चना भारती के अन्य प्रश्न–पत्रों मे प्राप्त अंक के आधार पर UGST-05 प्रश्न–पत्र में औसत अंक प्रदान करने के पूर्व छात्रा के हस्ताक्षर का मिलान अन्य प्रश्न–पत्रों की उपस्थिति प्रपत्र (P-7)*	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या

		से भी कराते हुए छात्रा का परीक्षाफल घोषित किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1489/2017 दिनाँक 19–01–2017 द्वारा को परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
(8)	मूल्यांकन कार्य हेतु नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने सम्बन्धी प्रथा को समाप्त किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों में तत्समय जैसी आवयश्कता हो परीक्षा नियंत्रक अपने विवेकानुसार निर्णय लेते हुए कार्य को सम्पादित करायें। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1488/2017 दिनाँक 19–01–2017 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
(9)	विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा पूर्व शपथ–पत्र लेने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे परीक्षा केन्द्रों में जो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय हों उन्हीं से शपथ–पत्र लिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1487/2017 दिनाँक 19–01–2017 द्वारा को परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(10)	पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों के पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे किसी भी प्रकार के भुगतान के स्थान पर पूर्व की भाँति व्यवस्था ही अपनाई जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–86)/1486/2017 दिनाँक 19–01–2017 द्वारा को परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
(11)	परीक्षा गोपनीय कार्य हेतु यात्रा पर जाने वाले शिक्षकों, परामर्शदाताओं एवं कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था हेतु भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय नियमानुसार जो यात्रा व्यय दिया जाता है उसी के अन्तर्गत भुगतान किया जाय। यात्रा की व्यवस्था में जहाँ तक सम्भव हो यात्रा हेतु प्रातः प्रस्थान कराया जाय एवं ऐसे किसी भी प्रकार के भुगतान के स्थान पर पूर्व की भाँति व्यवस्था ही अपनाई जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी./(38–86)/ 1559/2017 दिनाँक 03–02–2017 द्वारा को परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
41.17	**दिनाँक 19 नवम्बर, 2016 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार**		
(1)	सत्र 2016–17 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत होना।	*मान्यता बोर्ड सत्र 2016–17 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत हुई।* विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2)	सत्र 2016–17 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत होना।	*मान्यता बोर्ड सत्र 2016–17 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत हुई।* विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
(3)	अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ.यू./613/2016, दिनांक 11.08.2016 द्वारा गठित समिति की बैठकों दिनांक 24-10-2016, 25-10-2016, 26-10-2016 एवं दिनांक 08-11-2016 की कार्यवृत्त पर विचार।	*मान्यता बोर्ड अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ.यू./613/2016, दिनांक 11.08.2016 द्वारा गठित समिति की बैठकों दिनांक 24-10-2016, 25-10-2016, 26-10-2016 एवं दिनांक 08-11-2016 की कार्यवृत्त संलग्नक–01 के बिन्दु सं.–9 के क्र.सं. 3, 5 तथा 10 में कतिपय संशोधन के साथ सहमत हुई ।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी./(38–86)/1572/2017 दिनाँक 03–02–2017 द्वारा प्रभारी, अध्ययन केन्द्र को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रस्तावित मानक	संशोधित मानक
1.	MJ	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान) में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी, **अंग्रेजी, उर्दू,** राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान **आदि**) में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव
2.	MCA	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव। एवं

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रस्तावित मानक	संशोधित मानक
			(i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty.
3.	BCA	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था।	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था। एवं (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty. (v) 10+2 अर्हता स्तर के डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

(4)	नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु समय–समय पर प्राप्त आवेदन–पत्रों/प्रस्तावों के निस्तारण प्रक्रिया पर विचार।	*मान्यता बोर्ड नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु समय–समय पर प्राप्त आवेदन–पत्रों/प्रस्तावों के निस्तारण प्रक्रिया (मान्यता बोर्ड का कार्यवृत्त 19.07) यथावत रखने पर सहमत हुई।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 25–11–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी./(38–86)/1571/2017 दिनाँक 03–02–2017 द्वारा प्रभारी, अध्ययन केन्द्र को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

41.18	दिनाँक 19 नवम्बर, 2016 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
(1)	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण कराये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(2)	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02 से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02 से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जाने से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
(3)	विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों (गंगा एवं सरस्वती परिसर) में अवस्थित महाद्वारों के निर्माण/सौन्दरीकरण (रिनोवेशन) से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों (गंगा एवं सरस्वती परिसर) में अवस्थित महाद्वारों के निर्माण/सौन्दरीकरण (रिनोवेशन) से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।
(4)	विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
(5)	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण की प्रगति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण की प्रगति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण का कार्य कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर

		अवगत हुई।	प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा पूर्ण किया जा चुका है जिसका उद्घाटन मा. कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनाँक 24 मार्च, 2017 को किया जा चुका है। भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति के द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त भवन के हस्तानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
(6)	विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित कक्ष संख्या 102 एवं 103 को मिलाकार एक वी.आई.पी. सूट बनाए जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित कक्ष संख्या 102 एवं 103 को मिलाकार एक वी.आई.पी. सूट बनाए जाने हेतु सहमति व्यक्त की। साथ ही उसी प्रकार एक अतिरिक्त वी.आई.पी. सूट बनाये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
(7)	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(8)	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत हुई।	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी. एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश

		विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	जल निगम, इलाहाबाद द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। प्रथम तल के निर्माण लागत धनराशि रु. 535.60 लाख के सापेक्ष (प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु. 133.90 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रु. 117.00 लाख) कुल धनराशि रु. 250.90 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। भवन हेतु छत का कार्य पूर्ण हो चुका है। गलियारे के छत का निर्माण कार्य एवं फिनिसिंग का कार्य प्रगति पर है।
(9)	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में स्मार्ट क्लास रूम/लैब की स्थापना के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में स्मार्ट क्लास रूम/लैब की स्थापना के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(10)	विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सभी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु निजी भवन की व्यवस्था किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए भूमि/भवन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कुलसचिव महोदय को अधिकृत किया एवं प्रथम चरण में लखनऊ तथा वाराणसी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु भूमि/भवन व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	निर्णयानुसार क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ के लिए भूमि आवंटन हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ ने वृन्दावन योजना, लखनऊ में 1000.48 वर्ग मीटर भूखण्ड का आवंटन किया है। इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। क्षेत्रीय केन्द्र, गोरखपुर/ वाराणसी हेतु भूमि/भवन की उपलब्धता के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया है।

41.19	विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों हेतु मुद्रित पाठ्य सामग्री रखे जाने हेतु गंगा परिसर स्थित बैंक के पीछे 03 मंजिला भवन निर्मित कराये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों हेतु मुद्रित पाठ्य सामग्री रखे जाने हेतु गंगा परिसर स्थित बैंक के पीछे 03 मंजिला भवन निर्मित कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कार्यवाही की जानी है।
41.20	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त क्षेत्रीय क्षेन्द्रों पर 01–01 सुविधा सम्पन्न अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त क्षेत्रीय क्षेन्द्रों पर 01–01 सुविधा सम्पन्न अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कार्यवाही की जानी है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.03

विद्या परिषद् की पिछली आपातकालीन बैठक दिनाँक 24–12–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 24–12–2016 को सम्पन्न विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या** 04-08 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली की बैठक दिनाँक 24–12–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.04

विद्या परिषद् की पिछली आपातकालीन बैठक दिनाँक 24–12–2016 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
42.01	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परिनियम 8.01 के अन्तर्गत सम्मानार्थ उपाधि (Honoris Causa) प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार।	विद्या परिषद् ने पं. श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, मा. श्री राज्यपाल, पश्चिम बंगाल को डाक्टर आफ लाज (एल.एल.डी.) की मानद उपाधि (Honoris Causa) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को दीक्षान्त समारोह में पं. श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, मा. श्री राज्यपाल, पश्चिम बंगाल को डाक्टर आफ लाज (एल.एल.

			डी.) की मानद उपाधि (Honoris Causa) प्रदान की चुकी है।
42.02	विज्ञापन संख्या संख्या 07/2016 दिनाँक 16–05–2016 के अन्तर्गत विज्ञापित विभिन्न शैक्षणिक पदों पर संशोधित विज्ञापन कराये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनाँक 04 मई, 2016 (तृतीय संशोधन) के आलोक में विज्ञापन संख्या संख्या 07/2016 दिनाँक 16–05–2016 के अन्तर्गत विज्ञापित उक्त विभिन्न पदों पर संशोधित विज्ञापन कराये जाने एवं साथ ही कार्य परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 25 नवम्बर, 2016 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न रिक्त पदों का भी विज्ञापन कराये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार विज्ञापन संख्या 12/2016 दिनाँक 29–12–2016 के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिणिक/गैर शैक्षणिक एवं शैक्षणिक परामर्शदाता पदों का विज्ञापन कराये जा चुके है, जिसके सापेक्ष कतिपय पदों पर साक्षात्कार सम्पन्न कराया जा चुका है तथा शेष पदों पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
42.03	विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के रिक्त पद पर विज्ञापन कराये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के रिक्त पद पर विज्ञापन कराये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार विज्ञापन संख्या 12/2016 दिनाँक 29–12–2016 के अन्तर्गत परीक्षा नियंत्रक के पद का विज्ञापन कराया जा चुका है। चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

<u>कार्य सूची बिन्दु संख्या 44.05</u>

<u>विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 18–02–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

दिनाँक 18–02–2016 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या** 89-91 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली की बैठक दिनाँक 18–02–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 44.06

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 18–02–2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 18–02–2017 लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
43.01	दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को आयोजित होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को आयोजित होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत पूर्ण सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	दिनाँक 18 फरवरी, 2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में उपस्थित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दी गयी। शेष उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधि उनके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
43.02	दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को आयोजित होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदन पर विचार।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को आयोजित होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	दिनाँक 18 फरवरी, 2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक,

			कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिया जा चुका है।
43.03	दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.07

दिनाँक 01–04–2017 एवं 07–04–2017 को कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनाँक 01–04–2017 एवं 07–04–2017 को कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या 92-100 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने संलग्न संरचना के कतिपय संशोधनारान्त मा. कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.08

दिनाँक 06–04–2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनाँक 06–04–2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 05पृष्ठ संख्या 101-107 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने संलग्न संरचना के कतिपय संशोधनारान्त मा. कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.09

दिनाँक 27–03–2017 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 में किए गए संशोधन तथा आर.सी.आई. द्वारा जारी रेगुलेशन 15 मई, 2015 के अनुरूप विश्वविद्यालय के बी.एड. व बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) के पूर्व में संशोधित अध्यादेश में कतिपय संशोधन शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की बैठक दिनाँक 27–03–2017 में संस्तुत किया गया है। शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 06 पृष्ठ संख्या 108-111 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनाँक 27–03–2017 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किय जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.10

विश्वविद्यालय में नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं द्वारा अपने–अपने विद्या शाखाओं के अन्तर्गत कुछ नए कार्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें सम्बन्धित विद्या शाखाओं द्वारा उसके पाठ्यक्रम (Syllabus), प्रवेश हेतु अर्हता, कार्यक्रम की अवधि, शुल्क एवं प्रश्न पत्रों के नाम (क्रेडिट के साथ) आदि का उल्लेख किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों **(संलग्नक 07/08 पृष्ठ संख्या 112-121)** के सापेक्ष संचालित किए जाने वाले नवीन कार्यक्रमों के नाम निम्नवत है :–

(क) कृषि विद्या शाखा द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) Certificate Programme in Gardening (CPIG)
(ii) Diploma in Watershed Management (DWM)

(ख) स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) Certificate Programme Nursing Assistance & Geriatric Care Assistance Gardening (NAGCA)

अतः विभिन्न विद्या शाखा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव (अभिलेखों सहित) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.11

विश्वविद्यालय में मानवाधिकार शिक्षा पर पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 21 नवम्बर, 2016 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के निर्णय के अनुपालन में "मानवाधिकार एवं कर्तव्य" प्रश्न पत्र अनिवार्य एवं वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के रूप में स्नातक स्तर पर सभी विद्या शाखाओं में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त निदेशकों की दिनाँक 13–02–2017 की बैठक का कार्यवृत्त पर विचार

विश्वविद्यालय में मानवाधिकार शिक्षा पर पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 21 नवम्बर, 2016 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के निर्णय के अनुपालन में "मानवाधिकार एवं कर्तव्य" प्रश्न पत्र अनिवार्य एवं वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के रूप में स्नातक स्तर पर सभी विद्या शाखाओं में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त निदेशकों की दिनाँक 13–02–2017 की बैठक का कार्यवृत्त एवं प्रारूप संलग्नक 09 पृष्ठ संख्या 122-123 संलग्न है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में मानवाधिकार शिक्षा पर पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 21 नवम्बर, 2016 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के निर्णय के अनुपालन में "मानवाधिकार एवं कर्तव्य" प्रश्न पत्र अनिवार्य एवं वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के रूप में स्नातक स्तर पर सभी विद्या शाखाओं में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त निदेशकों की दिनाँक 13–02–2017 की बैठक का कार्यवृत्त को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.12

अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय की दर संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 03–04–2017 की अनुशंसा पर विचार

अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय का पुनरीक्षण दिनाँक 01–07–2010 को किया गया था तद्दिनाँक से यही मानदेय भुगतान किया जाता है। लगभग 06 वर्षों से मंहगाई आदि के कारण बहुत वृद्धि हो चुकी है। समन्वयकों की कार्यशाला में अधिकांश समन्वयको द्वारा मानदेय वृद्धि की मांग की जाती रही है। मानदेय वृद्धि हेतु एक

समिति का गठन किया गया। गठित समिति की बैठक दिनाँक 03–04–2017 की अनुशंसा संलग्नक 10 पृष्ठ संख्या 124-125 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय की दर संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 03–04–2017 की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.13

दिनाँक 03–04–2017 को योजना बोर्ड की की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सरकारी कार्यदायी संस्थाओं *(परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद; अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद; अधिशाषी अभियन्ता सी.डी.–35, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, तेलियरगंज, इलाहाबाद एवं अपर परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद इकाई, लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज अस्पताल परिसर, फाफामऊ, इलाहाबाद)* को पत्र प्रेषित किये गये थे जिसके सापेक्ष सिर्फ परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद से प्रारम्भिक आगणन लागत रु. 133.10 लाख का प्राप्त हुआ है। उपरोक्त अन्य संस्थाओं को पुनः अनुस्मारक प्रेषित करने के उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता, सी.डी.–35, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, तेलियरगंज, इलाहाबाद से प्रारम्भिक आगणन लागत रु. 148.58 लाख का प्राप्त हुआ। कुल 02 संस्थाओं से प्राप्त प्रारम्भिक आगणन में से परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद का आगणन धनराशि रु. 133.10 लाख न्यूनतम है जिस पर निगोसिएशन के उपरान्त माननीय कुलपति जी ने धनराशि रु. 117.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया है जिसके सापेक्ष सी.एण्ड डी.एस. ने 117.00 लाख का संशोधित प्रारम्भिक आगणन प्रस्तुत किया है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

2. <u>विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02 से सम्बन्धित निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 (20 क्वार्टर) एवं टाइप–02 (20 क्वार्टर) का निर्माण कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। निर्माण लागत धनराशि रु. 343.76 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि रु. 85.94 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। टाइप–01 में एक ब्लाक का भूतल छत तक पूर्ण हो चुका है एवं छत का कार्य प्रगति पर है एवं दूसरे ब्लाक में प्लिंथ बीम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। टाइप–02 में एक ब्लाक का भूतल छत तक पूर्ण हो चुका है एवं छत का कार्य प्रगति पर है एवं दूसरे ब्लाक में प्लिंथ बीम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02 से सम्बन्धित निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. <u>विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–03 से सम्बन्धित निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–03 (12 क्वार्टर) का निर्माण कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा

सम्पादित किया जा रहा है। निर्माण लागत धनराशि रु. 175.70 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु. 43.75 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–03 से सम्बन्धित निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

4. <u>विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बेसमेण्ट एवं भूतल का निर्माण शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष वर्ष 2010 में कार्यदायी संस्थाः सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–10, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा किया गया है। बढ़ती हुई छात्र संख्या, कर्मचारियों एवं कार्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी होती जा रही है। प्रशासनिक भवन के निर्माण के प्रारम्भिक समय में एक डिजाइन/मानचित्र बनवाया गया था जिसके अनुसार प्रशासनिक भवन कुल 04 तलों में निर्मित होना था। जिसके सापेक्ष प्रथम तल का निर्माण कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। भवन हेतु छत का कार्य पूर्ण हो चुका है। गलियारे के छत का निर्माण कार्य एवं फिनिसिंग का कार्य प्रगति पर है। प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी को दूर करने के लिए निर्मित भवन के ऊपर के द्वितीय तल का निर्माण कराए जाने एवं छतरी लगाये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी लगाये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। प्रथम तल के निर्माण लागत धनराशि रु. 535.60 लाख के सापेक्ष (प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु. 133.90 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रु. 117.00 लाख) कुल धनराशि रु. 250.90 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। भवन हेतु छत का कार्य पूर्ण हो चुका है। गलियारे के छत का निर्माण कार्य एवं फिनिसिंग का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

6. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में निर्मित भवन की साज–सज्जा कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में निर्मित भवन के कक्षों की साज–सज्जा, फर्नीचर आदि का कार्य कराये जाना है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में निर्मित भवन की साज–सज्जा कराये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना

विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण हेतु प्राप्त आगणन में रू. 988.34 लाख न्यूनतम पाए जाने पर सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा अनुबन्ध के उपरान्त अनुबंधित धनराशि रू. 988.34 लाख का 25% (रू. 247 लाख) अग्रिम प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया जा चुका है। नींव का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

8. विश्वविद्यालय के यमुना परिसर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण के पूर्ण होने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण का कार्य कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा सम्पादित किया जा चुका है जिसका उद्घाटन मा. कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनाँक 24 मार्च, 2017 को किया जा चुका है। भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति के द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त भवन के हस्तानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण के पूर्ण होने से अवगत हुई एवं 12/12, कमला नेहरू रोड, (के.पी. गर्ल्स इण्टरमीडिएट कालेज के पास,) सिविल लाइन्स, इलाहाबाद स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद (किराए के भवन) को नवनिर्मित भवन में शीघ्र स्थानान्तरित किये जाने की संस्तुति की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

9. <u>विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित 02 वी.आई.पी.कक्षों को सुसज्जित कराये जाने से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित 02 वी.आई.पी.कक्षों को सुसज्जित कराये जाने के सम्बन्ध में योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनाँक 19–11–2016 में निम्नलिखित निर्णय लिया जिसे विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 21–11–2016 कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 25–11–2016 में यथावत स्वीकार किया :–

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित कक्ष संख्या 102 एवं 103 को मिलाकार एक वी.आई.पी. सूट बनाए जाने हेतु सहमति व्यक्त की। साथ ही उसी प्रकार एक अतिरिक्त वी.आई.पी. सूट बनाये जाने की संस्तुति की।

कार्य परिषद् के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित 02 वी.आई.पी.कक्षों को सुसज्जित कराया जा चुका है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित 02 वी.आई.पी.कक्षों को सुसज्जित कराये जाने से अवगत हुई एवं विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित भूतल पर (03 कमरे) एवं प्रथम तल में 01 वी.आई.पी. कक्ष में कमोट (वेस्टर्न) लगाये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

10. <u>विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (गंगा, यमुना एवं सरस्वती) में गार्ड रूम बनाये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (गंगा, यमुना एवं सरस्वती) में गार्ड रूम न होने के कारण विश्वविद्यालय की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्डों को तपती हुई धूप, ठण्ड, आँधी–तूफान एवं वर्षा होने पर सुचारू रूप से ड्यूटी करने में कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (गंगा, यमुना एवं सरस्वती) में गार्ड रूम बनाये जाने सम्बन्धी प्रकरण योजना बार्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (गंगा, यमुना एवं सरस्वती) में गार्ड रूम बनाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11. <u>विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 टाटा ACE गाड़ी क्रय किये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुभाग की सूचना विवरणिकाओं को उत्तर प्रदेश के दूरस्थ अध्ययन केन्द्रों पर प्रेषित करने, विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों हेतु वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, परीक्षाओं में प्रयुक्त होने वाले, राजकीय मुद्रणालय से उत्तर पुस्तिकाओं को लाने, उन्हें दूरस्थ अध्ययन केन्द्रों पर पहुँचाने, आवश्यकतानुसार पाठ्य–सामग्री को अध्ययन केन्द्रों पर प्रेषित करने आदि कार्य हेतु 01 टाटा ACE गाड़ी क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 टाटा ACE गाड़ी क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

12. <u>विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु भूमि क्रय किये जाने से अवगत होना</u>

योजना बोर्ड की बैठक दिनाँक 19–11–2016, विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 21–11–2016, वित्त समिति की बैठक दिनाँक 22–11–2016 की संस्तुति एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 25–11–2016 के निर्णय के अनुपालन में क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ के लिए भूमि आवंटन हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ में आवेदन किया गया। परिषद् ने वृन्दावन योजना, लखनऊ में 1000.48 वर्ग मीटर भूखण्ड का आवंटन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा टोकन धनराशि के रूप में रु. 18,45,910/– का भुगतान किया जा चुका है। शेष धनराशि हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ का पत्र संख्या 1237/सं0प्र. वृन्दावन दिनाँक 16–03–2017 **(पत्र की छाया प्रति संलग्नक 11 पृष्ठ संख्या** 126-127 **)** प्राप्त हुआ जो योजना बोर्ड से समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु भूमि क्रय किये जाने से अवगत हुई एवं अवशेष धनराशि निर्धारित तिथि तक भुगतान किए जाने की संस्तुति की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

13. <u>विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, गोरखपुर एवं वाराणसी हेतु भूमि/भवन के क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, गोरखपुर हेतु भूमि/भवन की उपलब्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू0./वी.सी./4506/2014 दिनाँक 27–11–2014 एवं पत्र संख्या ओ.यू0./1876/2017 दिनाँक 28–03–2017 द्वारा उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु भूमि/भवन की उपलब्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू0./1178/2016 दिनाँक 29–11–2016 द्वारा उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण , वाराणसी एवं पत्र संख्या ओ.यू0./1199/2016 दिनाँक 03–12–2016 द्वारा डॉ. अनन्त नारायण सिंह, काशी नरेश, राम नगर दुर्ग, वाराणसी को पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, गोरखपुर एवं वाराणसी हेतु भूमि/भवन के क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई एवं शेष समस्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों पर भूमि/भवन क्रय किये जाने की संस्तुति की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

14. <u>विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद से याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के प्रथम तल में स्थानान्तरित आडियो विजुअल लैब में साउण्ड प्रूफिंग एवं सुसज्जित कराये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद से याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के प्रथम तल में स्थानान्तरित आडियो विजुअल लैब में साउण्ड प्रूफिंग एवं सुसज्जित कराया जाना है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद से याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के प्रथम तल में स्थानान्तरित आडियो विजुअल लैब में साउण्ड प्रूफिंग एवं सुसज्जित कराये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

15. <u>विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में छात्र/छात्राओं/आगन्तुकों हेतु वाशरूम बनाये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में विभिन्न कारणों से छात्र/छात्राओं/आगन्तुकों का आवागमन बना रहता है लेकिन सरस्वती परिसर में छात्र/छात्राओं/आगन्तुकों हेतु कोई वाशरूम न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में छात्र/छात्राओं/आगन्तुकों हेतु वाशरूम बनाये जाने का निर्णय लिया।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.14</u>

<u>दिनाँक 10–04–2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार</u>

दिनाँक 10–04–2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा **संलग्नक 12 पृष्ठ संख्या 128–129** पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनाँक 10–04–2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 44.15

विद्या परिषद् ने दीन दयाल उपाध्याय के राष्ट्र निर्माण में किये गये योगदान के दृष्टिगत प्रति वर्ष दीन दयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यानमाला आयोजित कराये का जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

संलग्नक - 01

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 21 नवम्बर, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 41वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3	प्रो. के.एस. मिश्र, डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	प्रो. एच.एस. उपाध्याय, दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
9.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

10.	डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	डॉ. श्रुति, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
12.	डॉ. मुकेश कुमार असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
13.	श्री एस.पी. सिंह वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रित
14.	डॉ. आर.के. पाण्डेय कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य–सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

01	प्रो. बी.एम. शर्मा, फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी., पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
02	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
03.	डॉ. अरविन्द दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर, वी.एस.एस.डी. कालेज, कानपुर

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व माननीय कुलपति जी ने नये कुलसचिव, डॉ. आर. के. पाण्डेय का विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों से परिचय कराया तथा विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 02–09–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 02–09–2016 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों

को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली की बैठक दिनाँक 02–09–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 02–09–2016 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 02–09–2016 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
40.01	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 19 जून, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.02	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 19 जून, 2015 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.03	दिनाँक 27–01–2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार		
1.	परीक्षा दिसम्बर–2014 के उत्तर पुस्तिकाओं का शीघ्र मूल्यांकन कराने हेतु नोडल मूल्यांकन केन्द्र एवं नोडल प्रभारी नियुक्त करने पर विचार।	1. परीक्षा दिसम्बर–2014 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु बरेली, लखनऊ व इलाहाबाद तीन नोडल केन्द्र बनाये जायें। 2. नोडल प्रभारी द्वारा मूल्यांकन कराने से पूर्व अथवा पश्चात मे मूल्यांकन कर्त्ताओं की सूची अवश्य अनुमोदित करा ली जाय। 3. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा भी क्षेत्रीय कार्यालय पर मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की अहर्ता का ध्यान रखा जाय।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
2.	मूल्यांकन केन्द्र/नोडल प्रभारी के मानदेय पर विचार।	1. पूर्व की व्यवस्था में बाह्य नोडल प्रभारियों के लिए मानदेय निर्धारित था किन्तु आन्तरिक नोडल प्रभारी हेतु कोई मानदेय नहीं था। समिति ने संस्तुति की कि आन्तरिक नोडल प्रभारी को भी बाह्य नोडल प्रभारी के समतूल्य मानदेय दिया जाय। 2. नोडल प्रभारी के मानदेय के पुनरीक्षण एवं उपरि–सीमा पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाय जिसमें समस्त निदेशक गण, वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक होगें एवं समस्त पहलुओं पर अध्ययन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनॉक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कर्ता को 100 उत्तर पुस्तिकाओं का एक बण्डल घर ले जाकर मूल्यांकन करने एवं एक दिन पश्चात् मूल्यांकित पुस्तिकाएं वापस करने पर ही दूसरा 100 उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल देने पर विचार।	1. 01 पैकेट (लगभग 100 उ0पु0) का मूल्यांकन करने हेतु अधिकतम तीन दिन का समय दिया जाय। 2. नोडल प्रभारी द्वारा मूल्यांकित कॉपियाँ प्राप्त करने के पश्चात Randomly Check करा लिया जाय कि सभी उ0पु0 ठीक प्रकार से Check हुई है या नहीं। तत्पश्चात दूसरा उ0पुस्तिकाओं का बण्डल मूल्यांकन हेतु दिया जाय। 3. मूल्याँकन करने हेतु कॉपियाँ देते समय मूल्यांकन कर्ता का PAN No., बैंक का नाम तथा परीक्षक का अंग्रेजी के Capital Letters में (जैसा बैंक A/C मे है), IFS Code, A/C No.	दिनॉक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		आदि की जानकारी ले लिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
4.	विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये उड़ाका दल के सदस्यों के पारिश्रमिक को पालीवार करने एवं ठहराव का दर अनुमन्य करने पर विचार।	कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
5.	विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा लेने गये परीक्षकों के ठहराव के दर अनुमन्य करने पर विचार।	कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
6.	विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु स्थापित कंट्रोल रूम में सम्बद्ध शिक्षकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने पर विचार।	कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
39.04	दिनाँक 27–02–2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	मा0 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, गोरखपुर में योजित वाद संख्या–76/2013, कु0 विरक्ति राय बनाम परीक्षा नियंत्रक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, के प्रकरण पर विचार।	1. कुमारी विरक्ति राय को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उनके एम0ए0 कार्यक्रम के अंकपत्र व उपाधि को निरस्त करने का कारण बताते हुए अंकपत्र व उपाधि निरस्त करने की सूचना/पत्र प्रेषित कर दे दी जाय। 2. कुमारी विरक्ति राय के एम0ए0 कार्यक्रम की अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करने की सूचना विश्वविद्यालय के वैबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय एवं	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		दैनिक समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित करा दी जाय। 3. कुमारी विरक्ति राय की जून–2008 की परीक्षा के सापेक्ष बी0ए0 कार्यक्रम की उपाधि निर्गत करते हुए उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर में प्रस्तुत कर दिया जाय। साथ ही उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर को कुमारी विरक्ति राय के कार्यक्रम बी0ए0 की उपाधि जून–2008 की परीक्षा के सापेक्ष देने एवं एम0ए0 कार्यक्रम का अंकपत्र व उपाधि निरस्त करने का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध करा दिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
39.05	दिनाँक 08 जुलाई, 2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार		
1.	विगत सत्र के UFM एवं संवीक्षा के निर्णय से अवगत होना	(i) परीक्षा सत्र दिसम्बर 2014 में 18 परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित थे। (ii) परीक्षा सत्र दिसम्बर 2014 में में कुल 31 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा की गई। परीक्षा समिति ने विगत सत्र के UFM एवं संविक्षा के निर्णय की पुष्टि की। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (इस वर्ष अपनाई गयी प्रक्रिया एवं आगामी वर्षों हेतु मानकों) की समीक्षा।	(i) परीक्षा केन्द्र बनाते समय दिशा निर्देश का हर सम्भव पालन किया जाय उसमें कोई विचलन (Deviation) होता है तो वैधानिक समिति (Statutary body) से अनुमोदन कराया जाय। (ii) परीक्षा केन्द्र उन्ही केन्द्रों को बनाया जाय जिनकी छात्र संख्या दिसम्बर सत्र में 60 तथा जून में 150 या अधिक हो। वित्तीय हानि न हो इसका भी ध्यान रखा जाय। (iii) परीक्षा समय सारिणी (Time	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		Table) बनाते समय ध्यान रखा जाय कि एक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक न हो। (iv) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक दो दिन के लिए अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
3.	परीक्षा सत्र जून 2015 के Flying squad/Observers की रिपोर्ट।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णया लिया कि Flying squad/Observers की रिर्पोट पर परीक्षा केन्द्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा दोनों पक्षों के पत्र को आगामी परीक्षा समिति में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
4.	पूर्व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतें एवं कृत कार्यवाही।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्रा शिकायतों के आधार पर परीक्षा केन्द्र को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्रा प्रेषित किया जाय एवं स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् निर्णयार्थ आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रिधीन है।
5.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात प्राप्त पर्णो के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा संस्तुत अन्तरिम आख्या पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तत्कालीन क्षेत्रीय समन्वयक को Show cause notice दिया जाय एवं उनके जबाव को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
6.	परीक्षा व्यवस्था (i) परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानक पर पुनर्विचार।	परीक्षा समिति ने प्रश्न किया कि समस्त बिन्दु 18वीं परीक्षा समिति में भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं पुनः इसे इस परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तर्कसंगत	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा

	(ii) आन्तरिक/वाह्य उडाका दल सदस्यों के मानदेय की दर में संशोधन पर विचार। (iii) परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को आन्तरिक कार्य हेतु मानदेय/वाहन भत्ता।	प्रतीत नहीं होता है। परीक्षा समिति ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि 18वीं परीक्षा समिति के सापेक्ष समस्त बिन्दुओं पर कार्यदाही हेतु गठित समिति का Action taken report आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
7.	कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका प्रेषण हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि " केन्द्र संख्या एस–230 द्वारा पूर्ण अवहेलना की गयी है किन्तु एस–921 द्वारा अन्तिम दिन ही देर से भेजी गई है" को संज्ञान में लेते हुए दोनों परीक्षा केन्द्रों को स्पष्टीकरण हेतु पत्र दिया जाय एवं उनके जवाब को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
8.	परीक्षा सत्र जून–2015 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रगति।	परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को अवगत कराया कि परीक्षा जून– 2015 की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकन हेतु नोडल केन्द्रों पर भेजी जा रही हैं। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
9 (i)	तीन परीक्षा केन्द्रों S-011 वी.एस. एस.डी. कालेज, कानपुर S-114 कृष्ण सुदामा महाविद्यालय, गाजीपुर एवं S-065 डी.एस.एन. कालेज, उन्नाव द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग को प्रेषित की गयी/विश्वविद्यालय के कर्मचारी को प्राप्त करायी गयी परन्तु प्रेषित/प्राप्त करायी गयी उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग गोपनीय में उपलब्ध नहीं है।	(a) जाँच कमेटी अगले पाँच कार्य दिवस के अन्दर अपनी जाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि इसमें दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय। (b) परीक्षार्थियों द्वारा उस परीक्षा सत्र में दिये गये अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर जिस प्रश्न पत्र कीं उत्तर पुस्तिका परीक्षा गोपनीय में उपलब्ध नहीं है उसमें एवरेज मार्किंग कर दी जाय। (c) परीक्षा समिति की 15वीं बैठक के बिन्दु संख्या 15.02 व 15.08 (iv) पर परीक्षा समिति द्वारा उसी परीक्षा सत्र के अन्य	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

		प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक के आधार पर औसत अंक प्रदान करने का निर्णय किया गया था। (d) समस्त कार्यवाही एवं आख्या आगामी परीक्षा समिति में भी सूचनार्थ प्रस्तुत हो जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
(ii)	परीक्षा परिणाम CD में Write करा कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ Strong Room में सुरक्षित रखा जाय।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
40.06	दिनाँक 16 नवम्बर, 2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार		
1.	श्री मनोज कुमार मिश्र द्वारा BCA-18 एवं डॉ. सुभाष चन्द्र यादव द्वारा PGBCH-01 व 04 प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में त्रुटि पाये जाने पर समस्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान रोक दिये जाने के प्रकरण पर विचार	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री मनोज कुमार मिश्र एवं डॉ. सुभाष चन्द्र चादव के दयेक का भुगतान न किया जाय एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य से विरत रखा जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
2.	प्रवेश पत्र में Not Allowed अंकित होने के कारण शिक्षार्थियों की परीक्षा छूट जाने के प्रकरण पर विचार	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधिन्यास उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की व्यवस्था में कोई परविर्तन कमेटी का गठन करके उसमें लिये गये निर्णय के आधार पर ही किया जाना सम्भव है। MBA, BEd, MCA कार्यक्रम के Project व अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय पर कराया जाय।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
3.	परीक्षा केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (मानक) की समीक्षा।	1. परीक्षा केन्द्र बनाते समय ध्यान रखा जाय कि हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र अवश्य हो। 2. छात्राओं की Safety व Security को ध्यान में रखते हुये छात्राओं के अध्ययन केन्द्र की संख्या यदि 50 हो तो भी स्वविवेकानुसार परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। 3. विश्वविद्यालय (शांतिपुरम, फाफामऊ) में भी परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
4.	परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying Squad/Observers की रिर्पोट पर विचार	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./5565/2015 दिनाँक 03/09/2015 एवं ओ.यू./5978/2015 दिनाँक 30/10/2015 द्वारा परीक्षा केन्द्रों को भेजे गये पत्र के सापेक्ष परीक्षा केन्द्रों द्वारा प्रेषित आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त आगामी परीक्षा दिसम्बर–2015 में परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार किया जाय। सत्रांत परीक्षा दिसम्बर–2015 से Region Change करके उड़ाका दल के सदस्यों को भेजा जाय (Varanasi to Ghazipur, Ghazipur to Varanasi etc.) विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
5.	सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्षेत्रीय केन्द्रों के अन्तर्गत आने	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक

		वाले परीक्षा केन्द्रों के सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें क्षेत्रीय केन्द्र पर ही एकत्रित कराने के पश्चात् क्षेत्रीय समन्वयक को नोडल आफिसर बना कर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
6.	भुगतान देयकों के मानक पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कमेटी का गठन कर मानकों पर पुनरीक्षण हेतु विचार किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
7.	BEd कार्यक्रम के अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक की परीक्षक से कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधिन्यास मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्व के समान ही रहेगी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
8.	प्रोजेक्ट का मूल्यांकन एक की परीक्षक से कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रोजेक्ट मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्व के समान ही रहेगी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
9.	परीक्षा दिसम्बर–2014 की Not Allowed उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही

			की जा चुकी है।
10.	Ph.D प्रवेश परीक्षा जिस विषय में Supervisor उपलब्ध है उन्हीं की करायी जाय एवं विश्वविद्यालय (शांतिपुरम्, फाफामऊ) में ही करायी जाय।	Ph.D प्रवेश परीक्षा जिस विषय में Supervisor उपलब्ध है उन्ही की करायी जाय एवं विश्वविद्यालय (शांतिपुरम्, फाफामऊ) में ही करायी जाय। परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
40.07	दिनाँक 01 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु चयनित एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद इकाई द्वारा अभी तक अनुबन्ध कर प्रेषित आगणन 535.60 लाख के विरुद्ध अनुबन्ध निष्पादित कराकर कार्य आरम्भ न किये जाने के सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	योजना बोर्ड ने प्रशासनिक भवन के ग्राउन्ड तल को पूर्व में बना चुकी राजकीय कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम,यूनिट 33, इलाहाबाद के पत्राँक 604/निर्माण/41 दिनाँक 20–07–2015 के आधार पर राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रेषित आगणन रु. 535.60 लाख पर उत्तर प्रदेश जल निगम,यूनिट 10, इलाहाबाद से प्रथम तल का भी कार्य कराये जाने हेतु सहमति मांगे जाने एवं सहमति प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश जल निगम को शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट 33, इलाहाबाद द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था को लगभग रु. 2.50 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्य सम्पन्न किया जा चुका है तथा छत की ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
2.	विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी निर्माण एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास/रीजनल	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी निर्माण एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास/रीजनल सेण्टर, इलाहाबाद की तत्काल अपरिहार्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम,

	सेण्टर, इलाहाबाद की तत्काल अपरिहार्यता के सम्बन्ध में विचार।	स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	यूनिट 33, इलाहाबाद द्वारा कार्य किया जा रहा है। बाउण्ड्री का कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टी परपच हाल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट 33, इलाहाबाद द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्यादेश दिया जा चुका है। फाउण्डेशन का कार्य प्रगति पर है।
4.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्य पूर्ण हो चुका है।
5.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बैंक के पीछे डबल स्टोरी बिल्डिंग (बैंक/पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन) आदि के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बैंक के पीछे डबल स्टोरी बिल्डिंग (बैंक/पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन) आदि के निर्माण कराये सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही की जानी है।
40.08	दिनाँक 28 जुलाई, 2016 को सम्पन्न योजना बोर्ड की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		

1.	विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में महाद्वार के मानचित्र एवं आगणन पर विचार कर अग्रेतर निर्माण कराए जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में महाद्वार की भव्यता को ध्यान में रखते हुए कार्य कराया जाये साथ ही यदि लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसका प्रावधान कर लिया जाये। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार दो गेट का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं एक गेट का कार्य प्रगति पर है।
2.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में राजकीय निर्माण एजेन्सी सी.एण्ड डी.एस. द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष कराये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आंशिक परिवर्तित मानचित्र पर विचार कर कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित किये गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में द्वितीय किश्त के अवमुक्त के औचित्य पर विचार।	योजना बोर्ड ने आंशिक परिवर्तित मानचित्र को बेहतर मानते हुए भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त रू. 117 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार रु. 117 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था द्वारा 50 प्रतिशत कार्य सम्पन्न किया जा चुका है तथा छत की ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
3.	विश्वविद्यालय के आबंटित तीसरे प्लाट के भूमि 5.50 एकड़ के रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत राजकीय निर्माण एजेन्सी, सी. एण्ड डी.एस. द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष कराए जा रहे चहार दिवारी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रेषित किये गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में मानचित्र पर पुनः विचार कर द्वितीय किश्त के अवमुक्त के औचित्य पर विचारा।	योजना बोर्ड ने भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त रू. 50 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33 उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा कुल अवमुक्त की गयी धनराशि रु. 125 लाख के सापेक्ष रु. 95.18 लाख व्यय करते हुए 70 प्रतिशत चहारदिवारी निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।
4.	विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों के क्षमता का आडिटोरियम निर्माण कराए जाने हेतु मानचित्र पर विचार	योजना बोर्ड ने आडिटोरियम निर्माण कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, इलाहाबाद से प्राप्त मानचित्र में प्रावधानित द्वितीय तल, सी.सी. रोड, हर्टीकल्चर कार्य,	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया

		गोदरेज चेयर, लोक निर्माण विभाग विद्युत वितरण खण्ड के पृथक प्रावधान को छोड़कर मानचित्र को उपयुक्त पाया। अतः प्रथम चरण में उक्त को छोड़ते हुए विभिन्न शासकीय एजेन्सी से आगणन प्राप्त कर न्यूनतम दर की एजेन्सी से कार्य कराये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	गया। निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33 उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्यादेश दिया जा चुका है। फाउण्डेशन का कार्य प्रगति पर है।
5.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/अन्य वाह्य आगन्तुकों हेतु राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष कराये गये प्रसाधन कक्ष के कार्यों के सम्बन्ध में भेजे गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में शेष अंतिम किश्त के अवमुक्ति के औचित्य पर विचार।	योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र दिनाँकित 25–06–2015 जिसमें बरामदा, रैम्प, सी.सी. टाइल्स, पृथक–पृथक चैनल गेट एवं आवश्यक वाशबेसिन का प्रावधान किया गया है एवं आगणन राशि में कोई वृद्धि नहीं किया गया है, को पूर्व मानचित्र दिनाँकित 27–01–2015 से बेहतर मानते हुए भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को अवशेष धनराशि रू. 1.80 लाख अवमुक्त करने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यपूर्ण हो चुका है।
40.09	विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) के प्रयोग हेतु (OER) की नीति को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) के प्रयोग हेतु (OER) की नीति को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1133/2016

			दिनाँक 19–11–2016 को निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.10	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F. 1-3/2007(CPP-II) दिनाँक 05 मई, 2016 पर विचार।	चूँकि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है। इसकी कार्य प्रणाली अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है। प्रवेश के उपरान्त शिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री प्रेषित की जाती है। अतः विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् शिक्षार्थियों के प्रवेश शुल्क वापस न किए जाने हेतु किए गए पूर्व की व्यवस्था को विद्या परिषद् ने उपयुक्त पाते हुए लागू रहने की संस्तुति की।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1132/2016 दिनाँक 19–11–2016 को प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।
40.11	ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में विचार	विद्या परिषद् ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1130/2016 दिनाँक 19–11–2016 को प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
40.12	दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की बैठक दिनाँक 23–11–2015 एवं	विद्या परिषद् ने दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठक (दिनाँक	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा

	26–12–2015 की अनुशंसा पर विचार।	23–11–2015 एवं 26–12–2015) की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1131/2016 दिनाँक 19–11–2016 को निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.13	राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में दिनाँक 25–05–2015 को गठित समतुल्यता समिति की दिनाँक 06–11–2015 के बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में दिनाँक 25–05–2015 को गठित समतुल्यता समिति की दिनाँक 06–11–2015 के बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1135/2016 दिनाँक 19–11–2016 को निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.14	विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन प्रस्तावित कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार।	विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठकों की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1134/2016 दिनाँक 19–11–2016 को समस्त निदेशकों को पत्र कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया

			जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।
40.15	विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेन्स चेयर स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत होना।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेन्स चेयर स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.16	विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक–एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 23–07–2016, 05–08–2016 एवं 24–08–2016 की अनुशंसाओं पर विचार।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक–एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 23–07–2016, 05–08–2016 एवं 24–08–2016की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.17	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता दिये जाने से अवगत होना	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता दिये जाने से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.18	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि हेतु कमेटी के गठन पर विचार।	विद्या परिषद् प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि हेतु कमेटी के गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.19	विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध आदि के सभी संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर समान शुल्क निर्धारित किये जाने की नीति	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध आदि के सभी संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर समान शुल्क निर्धारित किये जाने की नीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही

	तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या –646/सत्तर–4–2016–46(64)/2009 लखनऊ दिनाँक 05 अगस्त, 2016 के क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु कमेटी के गठन पर विचार।	शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या –646/सत्तर–4–2016–46(64)/2009 लखनऊ दिनाँक 05 अगस्त, 2016 के क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु कमेटी के गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।	प्रक्रियाधीन है।
40.20	पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को स्नातक स्तर एवं गाँधी विचार एवं शान्ति अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को परास्नातक स्तर पर प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।	पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को स्नातक स्तर एवं गाँधी विचार एवं शान्ति अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को परास्नातक स्तर पर प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किया जायेगा। विद्या परिषद् ने उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव को विचारोपरान्त यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1127/2016 दिनाँक 19–11–2016 को परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
40.21	समस्त विद्या शाखाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम प्रयास में एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिव्यांगों के मध्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के परिशिष्ट 'क' के प्रस्तर (iv) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किये जाने पर विचार।	समस्त विद्या शाखाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम प्रयास एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिव्यांगों के मध्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र/छात्रा को प्रथम अध्यादेश के परिशिष्ट 'क' के प्रस्तर (iv) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किया जायेगा। विद्या परिषद् ने उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव को विचारोपरान्त यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1128/2016 दिनाँक 19–11–2016 को परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
40.22	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त	दिनाँक 03–09–2016 को

	विनियम 2010 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तों आदि से सम्बन्धित परिनियमों में संशोधनों पर पुनः विचार।	विश्वविद्यालय के परिनियम एवं अध्यादेश के अन्तर्गत विहित अधिनियम जो परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा लागू की गयी विश्वविद्यालयों के प्रावधानों को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तों आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को सम्यक अध्ययन कर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1129/2016 दिनाँक 19–11–2016 को निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.23	दिनाँक 26 अगस्त, 2016 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार		
1.	सत्र 2015–16 में खोले गये 62 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना	मान्यता बोर्ड 62 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	सत्र 2015–16 में पूर्व से संचालित 48 अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	मान्यता बोर्ड पूर्व से संचालित 48 अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	सत्र 2015–16 में 02 अध्ययन केन्द्रों के पुनः संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	मान्यता बोर्ड 02 अध्ययन केन्द्रों के पुनः संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

		अवगत हुई।	
4.	ऐसे अध्ययन केन्द्रों जहाँ विगत तीन वर्षों से शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक होने के कारण कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2016–17 से स्थगित/निरस्त किये जाने पर विचार	*मान्यता बोर्ड ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ विगत तीन वर्षों से शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक है, के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियाँ की :–* *उ. प्र. शासन द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य है, को सत्र 2016–17 से निलम्बित किया जाय। संस्थानों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से 06 तक है (विशिष्ट संस्थानों को छोड़कर), को सत्र 2016–17 से निरस्त किया जाय। निलम्बित/स्थगित अध्ययन केन्द्रों को सूचना विवरणिका एवं वेबसाइट के एडमीशन पोर्टल से हटा दिया जाय।* *उ. प्र. शासन द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 01 से 06 तक है, को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये कि वह अपने अध्ययन केन्द्र पर छात्र संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न करें।* *संस्थानों में स्थापित पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों से उनके वर्तमान स्थिति (Present Status)*	दिनांक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		तथा आधारभूत संरचनाओं यथा भवन, लैब, पुस्तकालय इत्यादि व शिक्षक आदि से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त कर ली जाय। *निलम्बित/स्थगित (महाविद्यालय में स्थापित) अध्ययन केन्द्रों द्वारा भविष्य में पुनः संचालन हेतु अनुरोध करने पर विचार किया जाय।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
5.	नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रदान किये जाने सम्बन्धित निर्धारित मानक/मापदण्ड तथा आवेदन–पत्र में संशोधन किये जाने पर विचार।	मान्यता बोर्ड "नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रदान किये जाने सम्बन्धित निर्धारित मानक/मापदण्ड तथा आवेदन–पत्र में संशोधन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करेगी," पर सहमत हुई। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
6.	उत्कृष्टता पुरस्कार दिये जाने पर विचार।	मान्यता बोर्ड ऐसे पाँच उत्कृष्ट अध्ययन केन्द्रों, एक गैर–अध्ययन केन्द्र महाविद्यालय, एक उत्कृष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, विश्वविद्यालय के एक शिक्षक, एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उत्कृष्टता पुरस्कार निर्धारण समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कृत किये जाने पर सहमत हुई। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		यथावत स्वीकार किया।	
7.	इण्टरमीडिएट कालेज स्तर के अध्ययन केन्द्र को बन्द/निरस्त किये जाने पर विचार।	मान्यता बोर्ड इण्टरमीडिएट कालेज स्तर के अध्ययन केन्द्र एस.के.वी.एम. इण्टर कालेज, दिलदारनगर, गाजीपुर (एस–035) को सत्र 2016–17 से बन्द/निरस्त किये जाने तथा इस अध्ययन केन्द्र पर नामांकित छात्र/छात्राओं को उनकी इच्छानुसार अन्य अध्ययन केन्द्रों, जहाँ सम्बन्धित विषयों की मान्यता हो, पर सम्बद्ध किये जाने पर सहमत हुई। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
40.24	Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Distance Education Learning, Shastri Bhawan, New Delhi के पत्र संख्या F.No. 18-16/2016-DL दिनाँक 22 अगस्त, 2016 के द्वारा MOOCs के सम्बन्ध में लागू किये जाने वाले निर्देशों को अंगीकृत किए जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने **Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Distance Education Learning, Shastri Bhawan, New Delhi** के पत्र संख्या **F.No. 18-16/2016-DL** दिनाँक 22 अगस्त, 2016 के द्वारा MOOCs के सम्बन्ध में लागू किये जाने वाले निर्देशों को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.25	विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित एवं क्रय किए गए साफ्टवेयर, आई.सी.टी. के अन्तर्गत कराए गए विश्वविद्यालय अवस्थापना सम्बन्धी कार्य, मोबाइल ऐप, क्षेत्रीय केन्द्रों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़ने से सम्बन्धित कार्यों के प्रगति से अवगत होना।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित एवं क्रय किए गए साफ्टवेयर, आई.सी.टी. के अन्तर्गत कराए गए विश्वविद्यालय अवस्थापना सम्बन्धी कार्य, मोबाइल ऐप, क्षेत्रीय केन्द्रों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़ने से सम्बन्धित कार्यों के प्रगति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

40.26	विश्वविद्यालय में Ph.D/M.Phil कार्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से Ph.D/M.Phil रेगुलेशन, 2016 के शर्तों के अधीन अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की भाँति विश्वविद्यालय में Ph.D/M.Phil कार्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय के पत्र दिनाँक 02–09–2016 द्वारा शपथ पत्र भेजते हुए Ph.D/M.Phil कार्यक्रम चलाए जाने हेतु अनुमति प्राप्त करने की की गयी कार्यवाही को उचित मानते हुए अवगत हुई। विद्या परिषद् Ph.D/M.Phil रेगुलेशन, 2016 के अनुसार Ph.D/M.Phil कार्यक्रम का संचालन शीघ्र शुरू किए जाने की संस्तुति की।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.03

विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) Policy के अन्तर्गत विभिन्न विद्या शाखाओंसे ऑन लाइन एवं प्रिण्ट स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने हेतु Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA) को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत होना

विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) Policy के अन्तर्गत विभिन्न विद्या शाखाओं से ऑन लाइन एवं प्रिण्ट स्व–अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने हेतु Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA) को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू. /1015/2016 दिनाँक 10–11–2016 को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में **OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) Policy** के अन्तर्गत विभिन्न विद्या शाखाओंसे ऑन लाइन एवं प्रिण्ट स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने हेतु **Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA)** कों प्रेषित प्रस्ताव से अवगत हुई।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.04

पी–एच.डी. कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया/दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा पर विचार

पी–एच.डी. कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया/दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या : पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने पी–एच.डी. कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया/दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.05

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पी–एच.डी. कार्यक्रम के निर्देशन हेतु अर्ह शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों की सूची पर विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पी–एच.डी. कार्यक्रम के निर्देशन हेतु अर्ह शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों की सूची विभिन्न विद्या शाखा द्वारा उपलब्ध करायी गई है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

शिक्षा विद्या शाखा :–

1. प्रो. पी.के. पाण्डेय, प्रोफेसर
2. डॉ. जी.के. द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ. दिनेश सिंह, सहायक निदेशक/असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ. मुकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर

प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा :–

1. डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक
2. डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर

मानविकी विद्या शाखा :–

1. डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक
2. डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष
3. डॉ. रूचि बाजपेई, असिस्टेंट प्रोफेसर

4. डॉ. आर.जे. गौर्ग, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
5. डॉ. साधना श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर

विज्ञान विद्या शाखा :–

1. डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक
2. डॉ. श्रुति, असिस्टेंट प्रोफेसर

समाज विज्ञान विद्या शाखा :–

1. डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. सन्तोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर

कृषि विज्ञान विद्या शाखा :–

1. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक (सह–पर्यवेक्षक के रूप में)

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पी–एच.डी. कार्यक्रम के निर्देशन हेतु अर्ह शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों की सूची को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.06

विश्वविद्यालय की मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने पर विचार

इस विश्वविद्यालय में मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में प्राध्यापक की नियुक्ति न होने के कारण शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे अधिन्यास निर्माण, प्रश्न पत्र निर्माण तथा मूल्यांकन का कार्य आदि वाह्य परीक्षकों से कराई जाती है।

अतः विश्वविद्यालय में मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत अंग्रजी विषय में 01 परामर्शदाता नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय की मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.07

विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने पर विचार

इस विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन विषय में प्राध्यपक की नियुक्ति न होने के कारण शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे अधिन्यास निर्माण, प्रश्न पत्र निर्माण तथा मूल्यांकन का कार्य आदि वाह्य परीक्षकों से कराई जाती है।

अतः विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन विषय में 01 पद पर परामर्शदाता नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.08

विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित योग कार्यक्रम की प्रगति से अवगत होना

राष्ट्रीय स्तर पर योग की अत्यधिक मांग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर योग कार्यक्रम चलाये जाने हेतु पाठ्यक्रम सी.बी.सी.एस. प्रणाली के आधार पर तैयार कर लिया गया है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित योग कार्यक्रम की प्रगति से अवगत हुई तथा विद्या परिषद् ने मानविकी विद्या शाखा द्वारा प्रस्तुत (संलग्नक ... पृष्ठ संख्या .....) योग में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा चलाये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.09

विश्वविद्यालय में पी–एच.डी. प्रवेश सत्र 2016 के सम्बन्ध में नेट/जे.आर.एफ. एवं प्रवेश परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की योग्यता के निर्धारण हेतु शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा पर विचार

विश्वविद्यालय में पी–एच.डी. प्रवेश सत्र 2016 के सम्बन्ध में नेट/जे.आर.एफ. एवं प्रवेश परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के योग्यता के निर्धारण हेतु शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक दिनॉक 24–10–2016 (संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या .....) में निम्नलिखित संस्तुतियाँ की :–

1. जिन अभ्यर्थियों ने एम.ए. (परास्नातक) स्तर पर शिक्षाशास्त्र की उपाधि प्राप्त की है उनके एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) तथा स्नातक स्तर पर BA/B.Sc/B.Com आदि के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश हेतु विचार किया जाना उचित होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों ने परास्नातक के रूप में एम.एड. किया है उनके एम.एड. एवं स्नातक स्तर पर बी.एड. के प्राप्ताकों के आधार पर प्रवेश हेतु विचार किया जाना उचित होगा।
3. जिन अभ्यर्थियों ने एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) तथा M.Ed दोनों उपाधियाँ प्राप्त की है उनके MA (शिक्षाशास्त्र) तथा M.Ed उपाधि में जिसके भी प्राप्तांक अधिक हो उसी पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा और इसी आधार पर यदि M.A. (Edu.) में प्राप्तांक अधिक है तो परास्नातक पर M.A. व स्नातक स्तर पर BA/B.Sc/B.Com आदि तथा यदि M.Ed स्तर पर प्राप्तांक अधिक है तो परास्नातक स्तर पर तथा M.Ed व स्नातक स्तर हेतु B.Ed के प्राप्तांकों को आधार बनाया जाना उपयुक्त होगा।
4. एदग्ल विषय स्नातक में प्राप्त अंकों की गणना स्नातक के साथ नहीं की जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में पी–एच.डी. प्रवेश सत्र 2016 के सम्बन्ध में नेट/जे.आर.एफ. एवं प्रवेश परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की योग्यता के निर्धारण हेतु शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.10

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में स्थित छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन हेतु विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो स्थापित किए जाने हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्व में सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को आवेदन किया गया था किन्तु इस सन्दर्भ में कोई अपेक्षित प्रगति न होने के कारण पुनः सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को आवेदन पत्र सहित समस्त पत्रजातों की छाया प्रति प्रेषित करने के उपरान्त 03 अनुस्मारक प्रेषित किये जा चके हैं।

कम्युनिटी रेडियों की स्थापना हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में स्थित छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन हेतु विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो स्थापित किए जाने हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.11

विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की स्व अध्ययन सामग्री निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

समाज विज्ञान विद्या शाखा

समाज विज्ञान विद्या शाखा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के स्व–अध्ययन सामग्री लेखन के अन्तर्गत UGSY-01 से UGSY-04 तक एवं UGSY-06 में लेखन एवं सम्पादन कार्य पूर्ण हो चुका है। UGSY-05 में लेखन एवं सम्पादन कार्य प्रक्रिया में हैं। इसी प्रकार UGPS-01 से 07 तक लेखन एवं सम्पादन कार्य पूर्ण हो चुका है। MASW-01 से 03 तक लेखन एवं सम्पादन कार्य पूर्ण हो चुका है। MASW-04 एवं 05 सम्पादन की प्रक्रिया में हैं। MASW-06,07 मुद्रण हेतु प्रेषित किया जा चुका है। MASW-09 सम्पादन की प्रक्रिया में हैं। UGHY एवं MAHY की स्व–अध्ययन सामग्री लेखन एवं सम्पादन की प्रक्रिया में हैं।

शिक्षा विद्या शाखा

शिक्षा विद्या शाखा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में B.Ed.-01 से 03 तक मुद्रित है। B.Ed.-04 से 06 एवं 21 से 24 तक लेखन प्रक्रिया में हैं। B.Ed.(SE)-01 से 05 तक मुद्रित हैं। MAED-01 से 09 तक मुद्रित है। UGED-01 से 06 तक मुद्रित है। UGSED-01 से 04 तक लेखन प्रक्रिया में हैं। PGDVGCC-01 से 05 तक मुद्रित है।

प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा

प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित बी.काम. (प्रथम वर्ष) के चार प्रश्नपत्र के लेखन एवं सम्पादन का कार्य पूर्ण हो चुका है और प्रकाशन हेतु कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। बी.बी.ए. (प्रथम वर्ष) के आठ प्रश्नपत्र का लेखन एवं सम्पादन कार्य पूर्ण हो चुका है। परन्तु दो प्रश्नपत्रों में सम्पादक द्वारा दिये गये सुझावों को अमेलित करने के लिए पुनः लेखकों के पास प्रेषित किया गया है। एम.बी.ए. (प्रथम वर्ष–प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर) के 12 प्रश्नपत्रों में 6 प्रश्नपत्रों के लेखन एवं सम्पादन का कार्य पूर्ण हो चुका है और इन्हें प्रकाशन हेतु कुलसचिव कार्यालय को

उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 6 प्रश्नपत्र सम्पादन एवं सम्पादकों के सुझावों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया मे हैं।

मानविकी विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा

मानविकी विद्या शाखा से सम्बन्धित कार्यक्रम एम.ए. (हिन्दी) के 09 प्रश्नपत्रों में से अधिकांश का लेखन कार्य पूर्ण हो चुका है। बी.ए. (हिन्दी) में 01 से 09 प्रश्नपत्र मुद्रित हो चुके हैं। एम.ए. (संस्कृत) के प्रश्नपत्र 01 से 04 तक मुद्रित हैं। शेष का सम्पादन कार्य पूर्ण कर कतिपय सुधार हेतु लेखकों के पास हैं। बी.ए. (उर्दू) के प्रश्नपत्र 01 से 05 का सम्पादन तथा 06 एवं 07 का लेखन कार्य पूर्ण हो चुका है। बी.ए. (दर्शनशास्त्र) प्रश्न पत्र 02 से 06 तक लेखन कार्य पूर्ण हो चुका हैं प्रश्नपत्र 01 के दो खण्ड शेष हैं। एम. ए. (दर्शनशास्त्र) के प्रश्नपत्र 01, 03, 09, 10 एवं 12 का लेखन कार्य पूर्ण शेष का लेखन कार्य जारी है। पुस्तकालय विज्ञान MLIS कुल 08 प्रश्नपत्रों में से 01 एवं 03 का पूर्ण शेष प्रगति पर हैं। एम.ए. (अर्थशास्त्र) के चार प्रश्नपत्रों का मुद्रण हो चुका है शेष कार्य प्रगति पर हैं। बी.ए. (अर्थशास्त्र) के चार प्रश्नपत्रों का लेखन कार्य पूर्ण शेष 03 प्रश्नपत्रों का सम्पादन कार्य पूर्ण है। स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा से सम्बन्धित DHEN, DECE एवं DCDM कार्यक्रम की स्व–अध्ययन सामग्री के लेखन का कार्य प्रगति पर है। स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जा चुका है।

कृषि विज्ञान विद्या शाखा

कृषि विज्ञान विद्या शाखा से सम्बन्धित APDF, CLPS, CCMAP एवं CPHT&VA कार्यक्रमों से से CPHT&VA की विषय सामग्री में कतिपय संशोधनोपरान्त स्व–अध्ययन सामग्री के निर्माण का कार्य चल रहा है। CIP, CIB M.Sc-AgExt. एवं PGD-AgExt. के लेखकों की सूची तैयार की जा रही है। विगत वर्षो में संचालित तीन कार्यक्रम COF, DDT एवं DVAPFV जो किन्ही कारणों से स्थगित हैं के लेखन सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है।

विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा

विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा में पाठ्य सामग्री निर्माण के क्रम में अवगत कराना है कि BCA, MCA एवं Chemistry में क्रमशः 03, 03, एवं 01 प्रश्नपत्र मुद्रण हेतु भेजे गये हैं। BCA, MCA, Chemistry, Statistics, B.Sc.(CS) कार्यक्रमों में क्रमशः 06, 01, 04, 04, 04 सम्पादन में एवं 07, 07, 08, 16, 03 में लेखन कार्य चल रहा है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की स्व अध्ययन सामग्री निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.12

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में शिक्षार्थी के माता/पिता/पति का नाम दोनों भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में मुद्रित कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में शिक्षार्थी के माता/पिता/पति का नाम दोनों भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में मुद्रित कराया जाना है। इस प्रक्रिया द्वारा हिन्दी भाषी प्रदेशों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में भी उपाधि प्रस्तुत करने में शिक्षार्थियों को सुगमता होगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में शिक्षार्थी के माता/पिता/पति का नाम दोनों भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में मुद्रित कराये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.13

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में अधिक पारदर्शिता के दृष्टिगत सत्र जुलाई 2017–18 से प्रवेशित शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् फोटो युक्त उपाधि मुद्रित किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में अधिक पारदर्शिता के दृष्टिगत सत्र जुलाई 2017–18 से प्रवेशित शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् फोटो युक्त उपाधि मुद्रित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में अधिक पारदर्शिता के दृष्टिगत सत्र जुलाई 2017–18 से प्रवेशित शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् फोटो युक्त उपाधि मुद्रित किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.14

छात्र/छात्राओं को प्रदान किए जाने वाले अंक पत्रों एवं उपाधियों पर विश्वविद्यालय के आधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने तथा डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अंक पत्र एवं उपाधि को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने पर विचार

छात्र/छात्राओं को प्रदान किए जाने वाले अंक पत्रों एवं उपाधियों पर विश्वविद्यालय के आधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने तथा डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अंक पत्र एवं उपाधि को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने छात्र/छात्राओं को प्रदान किए जाने वाले अंक पत्रों एवं उपाधियों पर विश्वविद्यालय के आधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने तथा डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अंक पत्र एवं उपाधि को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.15

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 2012 में मानवाधिकार शिक्षा पर उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 916/सत्तर–1–2016 दिनाँक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में कार्यवाही पर विचार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 2012 में मानवाधिकार शिक्षा पर उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 916/सत्तर–1–2016 दिनाँक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान विद्या शाखा द्वारा मानवाधिकार से सम्बन्धित सी.एच.आर. कार्यक्रम संचालित होने तथा परास्नातक स्तर पर वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम **'मानवाधिकार एवं कर्तव्य'** प्रश्न पत्र संचालित होने की सूचना देते हुए स्नातक स्तर पर मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रश्न पत्र सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 2012 में मानवाधिकार शिक्षा पर उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के

सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 916/सत्तर–1–2016 दिनाँक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में प्रभारी, समाज विज्ञान विद्या शाखा को कार्यक्रमों के प्रारूप तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.16

दिनाँक 07 सितम्बर, 2016 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. सत्रांत परीक्षा दिसम्बर 2014 के सापेक्ष अमूल्यांकित अधिन्यास/उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

सत्रांत परीक्षा दिसम्बर 2014 के सापेक्ष ऐसे परीक्षार्थी लगभग 1500 जो अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिन्यास कार्य समय के अन्दर अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा कर दिये हैं एवं सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र द्वारा अधिन्यास की कापियों को मूल्यांकन कराये जाने हेतु अपने सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र पर निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर प्रेषित कर दिया गया है, सूच्य है कि पूर्व में मेरठ क्षेत्रीय केन्द्र का गठन नहीं होने के कारण एवं दो बार अधिन्यास की तिथि बढ़ाये जाने के कारण क्षेत्रीय केन्द्र के सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों द्वारा अधिन्यास जमा करने हेतु असमंजस की स्थिति रही फिर भी मेरठ क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई कार्याशाल में आये प्राचार्य/समन्वयकों द्वारा यह बताया गया कि अधिन्यास अन्तिम तिथि के अन्दर क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कर दिये गये थे। इससे सम्बन्धित छात्र–छात्राओं के प्रार्थना पत्रों को भी दिया गया है। जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र को एक पत्र प्रेषित है।

यदि क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि अधिन्यास समय से प्राप्त हो गये हैं, तो उन प्रकरणों पर छात्रहित में विचार करते हुए ऐसे परीक्षार्थियों की सत्रांत दिसम्बर 2014 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराये जाने एवं परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्र दिसम्बर 2014 के मेरठ क्षेत्रीय केन्द्र के अतिरिक्त ऐसे समस्त परीक्षार्थियों के जो निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर अपने कार्यक्रम की अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं को जमा किर दिये थे, की जानकारी सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र से प्राप्त करने एवं उनके मूल्यांकन हो जाने के की पुष्टि के उपरान्त ही उनकी सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय। यदि किसी परीक्षार्थी की अधिन्यास उत्तर पुस्तिका निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर

जमा होने के उपरान्त भी अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न हुआ या किसी परीक्षार्थी के द्वारा जमा की गई अधिन्यास उत्तर पुस्तिका के न मिल पाने की स्थिति में साक्ष्य के साथ परीक्षार्थी से पुनः अधिन्यास कार्य पूर्ण कराकर उन्हें सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं के साथ मूल्यांकन कराते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. <u>उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रथम एंव द्वितीय वर्ष के अंकपत्र को निर्गत किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

समस्त परीक्षार्थियों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र विश्वविद्यालय की वेव साइट पर उपलब्ध रहते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अन्तिम वर्ष के अंकपत्र में उत्तीर्ण परिक्षार्थियों के समस्त विवरण यथा प्रश्न–पत्रों के अंक, अधिन्यास अंक, क्रेडिट, एंव <u>उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण</u> की स्थिति उपलब्ध रहता है। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र निर्माण में व्यर्थ की समय हानि, जन शक्ति इत्यादि का हनन होता है। यदि किसी विभाग/संस्था द्वारा रोजगार के परिप्रेक्ष्य में लिखित रुप से अनुरोध किया जाता है तो सम्बन्धित परीक्षार्थी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र को निर्गत किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को उनके मात्र अन्तिम वर्ष के पूर्ण अंक–पत्र की हार्ड कापी में दिए जाने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परास्नातक कार्यक्रम के शिक्षार्थियों को उनके द्वितीय वर्ष एवं स्नातक कार्यक्रम के शिक्षार्थियों को उनके तृतीय वर्ष के पूर्ण अंक–पत्र की हार्ड कापी उपल्बध करायी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी विभाग/संस्था द्वारा रोजगार के परिप्रेक्ष्य में लिखित रुप से अनुरोध किया जाता है तो सम्बन्धित परीक्षार्थी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र की हार्ड कापी को निर्गत किया जा सकता है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. एकल विषय के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उनकी उपाधि निर्गत किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

श्री राज्यपाल सचिवालय से एकल विषय कार्यक्रम के संचालन को अग्रिम निर्णय तक बन्द किये जाने सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम के संचालन को बन्द कर दिया गया है।

वर्तमान में सत्र 2013–14 तक लगभग 35000 शिक्षार्थी एकल विषय कार्यक्रम में उतीर्ण हो चुके हैं। उन्हें उपाधि प्रदान करना विश्वविद्यालय का दायित्व है। तमाम परीक्षार्थियों के द्वारा अपने उपाधि हेतु प्रार्थना पत्र के माध्यम से एवं जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपाधि प्राप्त करने हेतु समय–समय पर पत्र प्राप्त होता रहता है। पूर्व में लगभग 928 शिक्षार्थियों अनुमोदित प्रारुप पर प्रमाण–पत्र निर्गत किए जा चुके हैं।

वर्तमान में सत्र 2013–14 तक लगभग 35000 शिक्षार्थी जो एकल विषय में उत्तीर्ण हो चुके हैं उन्हें अनुमोदित प्रारुप पर उनकी उपाधि को निर्गत किये जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एकल विषय के ऐसे लगभग 35000 समस्त उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रारुप में उपाधि के स्थान पर प्रमाण–पत्र व Degree के स्थान पर Certificate को संशोधित करते हुए एवं सम्बन्धित परीक्षार्थियों से उनके स्नातक कार्यक्रम को पूर्ण करने के साक्ष्य प्राप्ति के उपरान्त ही निर्गत करने की सहमति दी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. परीक्षा केन्द्रों पर पालीवार परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आन्तरिक उड़ाका दल एंव जनरेटर की व्यवस्था किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित की जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों पर आन्तरिक उड़ाका दल एंव जनरेटर उपयोग से सम्बन्धित देयकों में भुगतान सम्बन्धी प्रकरण सामने आते रहते हैं। सूच्य है कि विभिन्न परीक्षाओं में पालीवार परीक्षार्थियों की संख्या कम होने पर भी आन्तरिक उड़ाका दल के भुगतान हेतु प्रकरण सामने आते रहते हैं।

जबकि संख्या कम होने की स्थिति में आन्तरिक उड़ाका दल की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार जनरेटर का उपयोग सम्पूर्ण परीक्षा के दौरान दिखाया जाता है जबकि वस्तुस्थिति में जनरेटर का उपयोग यदाकदा ही किया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों पर पालीवार कम से कम 100 परीक्षार्थियों के होने पर ही आन्तरिक उड़ाका दल को भेजे जाने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत एवं परीक्षा केन्द्रों पर जनरेटर की व्यवस्था में प्रस्तुत बिल के साथ लाग–सीट एवं डीजल रशीद दिये जाने पर ही भुगतान किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी परीक्षाओं हेतु आन्तरिक उड़ाका दल के स्थान पर Inter Centre प्रक्रिया के तहत इस कार्य को कराया जाय एवं उनसे सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापक/प्राचार्य द्वारा प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए प्रस्तुत किया जाय। ऐसे प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षकों के द्वारा भी प्रस्तुत किये जायें। परीक्षा समिति ने जनरेटर की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रकरण पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बिल के साथ पर्याप्त प्रमाण यथा जनरेटर होने का प्रमाण एवं लागसीट प्रस्तुत किये जायें।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. <u>अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के सापेक्ष **Award List** पर अंक प्राप्त हो जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

कानपुर क्षेत्रीय केन्द्र के अन्तर्गत बनाये गये मूल्यांकन केन्द्र के नोडल अधिकारी द्वारा दिसम्बर–2015 परीक्षा के सापेक्ष छात्रा आरजू कटियार की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन कराये बिना उनके सत्रांत परीक्षा के Award List पर अंक प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में छात्रा आरजू कटियार नामांकन संख्या 310101010003 के प्रकरण में यह दृष्टिगत हुआ है कि छात्रा ने सभी परीक्षाएं दी हैं जिससे सम्बन्धित P7 प्रमाण के रुप में उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में नोडल मूल्यांकन प्रभारी को सम्बन्धित प्रकरण पर अपनी आख्या देने के साथ कि उक्त परीक्षकों से भविष्य में मूल्यांकन न कराया जाय सम्बन्धी चेतावनी पत्र निर्गत किया गया।

छात्रा के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा दिया गया है। उक्त छात्रा आरजू कटियार के परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने हेतु प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाय एवं सम्बन्धित परीक्षकों के भुगतान को रोक दिया जाय यदि भुगतान हो गया हो तो विश्वविद्यालय नियमानुसार उसे वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाय। ऐसे परीक्षको को आगामी परीक्षाओं हेतु रोक लगाते हुए भविष्य में इनसें किसी भी प्रकार के मूल्यांकन का कार्य न कराया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. <u>विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र (एस–478) के कतिपय शिक्षार्थियों को अलग–अलग वर्षो हेतु एक ही कार्यक्रम के लिये भिन्न–भिन्न नामांकन संख्या आवांटित कर दिया गया है, से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र भगवानदीन आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखीमपुर–खीरी (एस–478) के कतिपय शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा एक ही कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग–अलग वर्षो हेतु भिन्न–भिन्न नामांकन संख्या आवांटित कर दिये जाने के कारण उनके परीक्षा परिणाम को घोषित किये जाने में कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में प्रवेश अनुभाग द्वारा प्राप्त आख्या के उपरान्त भी समस्या आ रही है।

ऐसे समस्त शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम हेतु प्रवेश अनुभाग द्वारा ऐसे नामांकन संख्या को आंवांटित कर दिया जाय जो किसी भी अन्य शिक्षार्थी को आवांटित न हो एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए नामांकन प्राप्ति के उपरान्त उनके परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे शिक्षार्थियों के नामांकन हेतु प्रवेश प्रभारी एवं परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालते हुए शिक्षार्थियों के परीक्षाफल को घोषित कर दें।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. छात्रा सुश्री अर्चना भारती के UGST-05 की उत्तर पुस्तिका पर औसत अंक के निर्धारण से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार

सुश्री अर्चना भारती द्वारा दायर याचिका संख्या 31641/2016 के छात्रा अर्चना भारती की UGST-05 की उत्तर पुस्तिका न हीं विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में किये गये पत्राचार से सम्बन्धित समस्त पत्राजात (संलग्नक–06, पृष्ठ संख्या–41–58) पर उपलब्ध है। सुश्री अर्चना भारती द्वारा दायर याचिका के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि छात्रा की UGST-05 की उत्तर पुस्तिका पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लेते हुए परीक्षाफल घोषित किया जायं। मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश के अनुपालन हेतु चार सप्ताह का समय दिया है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छात्रा को उनके अन्य प्रश्न–पत्रों में प्राप्त अंक के आधार पर UGST-05 प्रश्न–पत्र हेतु औसत अंक देते हुए परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा अर्चना भारती के अन्य प्रश्न–पत्रों मे प्राप्त अंक के आधार पर UGST-05 प्रश्न–पत्र में औसत अंक प्रदान करने के पूर्व छात्रा के हस्ताक्षर का मिलान अन्य प्रश्न–पत्रों की उपस्थिति प्रपत्र (P-7) से भी कराते हुए छात्रा का परीक्षाफल घोषित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. मूल्यांकन कार्य हेतु नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने सम्बन्धी प्रथा को समाप्त किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

मूल्यांकन कार्य हेतु पूर्व में नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने की प्रथा रही है। जिसके परिप्रेक्ष्य में उनको निर्धारित मानक के अनुसार भुगतान भी किया जाता है। चूंकि क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा अपने सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों से उत्तर पुस्तिकाओं को मंगाने एवं उनके

मूल्यांकन हेतु अनुमोदित परीक्षकों से मूल्यांकन कराये जाने से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। नोडल मूल्यांकन प्रभारी द्वारा मूल्यांकन कराये जाने में अधिक समय लगता है एवं क्षेत्रीय निदेशक और मूल्यांकन प्रभारी को उत्तर पुस्तिकाओं के लेने देने. एवं अन्य समस्याओं के कारण परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलम्ब होता है।

अतः नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उपरोक्त कार्य क्षेत्रीय निदेशकों के देखरेख में कराये जाने एवं क्षेत्रीय निदेशकों को निर्धारित मानक के अनुसार भुगतान सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों में तत्समय जैसी आवयश्कता हो परीक्षा नियंत्रक अपने विवेकानुसार निर्णय लेते हुए कार्य को सम्पादित करायें।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. <u>विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा पूर्व शपथ–पत्र लेने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा के आरम्भ होने से पूर्व परीक्षा की सुचिता, नकल विहिन परीक्षा, परीक्षार्थियों की सुविधा इत्यादि से सम्बन्धित एक शपथ पत्र रु. 10/– के नान जुडिस्यिल स्टाम्प पेपर पर लेने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे परीक्षा केन्द्रों में जो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय हों उन्हीं से शपथ–पत्र लिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. <u>पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों के पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं में पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कई कर्मचारियों को देर तक रुककर काम करना पडता है। कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों को उनके पद के अनुरुप पारिश्रमिक दिये जाने की आवयश्कता प्रतीत होती है।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं हेतु पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों को निम्नानुसार मानदेय प्रस्तावित किया जाता है :–

1. तृतीय श्रेणी	रु. 20/–	प्रति अतिरिक्त घंटा
2. कुशल श्रमिक	रु. 15/–	प्रति अतिरिक्त घंटा
3. अकुशल श्रमिक	रु. 10/–	प्रति अतिरिक्त घंटा

परन्तु एक माह में अधिकतम रु. 2000/– तृतीय श्रेणी, रु. 1500/– कुशल श्रमिक एवं रु. 1000/– अकुशल श्रमिक को विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त भुगतान किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे किसी भी प्रकार के भुगतान के स्थान पर पूर्व की भाँति व्यवस्था ही अपनाई जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11. <u>परीक्षा गोपनीय कार्य हेतु यात्रा पर जाने वाले शिक्षकों, परामर्शदाताओं एवं कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था हेतु भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार</u>

विश्वविद्यालय की परीक्षा में गोपनीय कार्य हेतु यात्रा पर जाने वाले शिक्षकों, परामशदाताओं एवं कर्मचारियों को कई स्थानों पर ठहरने हेतु उनकी अपनी व्यवस्था न होने के कारण अन्य व्यवस्था करनी पड़ती है। जिसमें उनका अपना व्यय होता है। जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। अतः निम्नानुसार भुगतान किए जाने को प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

1. A ग्रेड श्रेणी के शहर हेतु रु. 700/–
2. B ग्रेड श्रेणी के शहर हेतु रु. 600/–
3. C ग्रेड श्रेणी के शहर हेतु रु. 500/–

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय नियमानुसार जो यात्रा व्यय दिया जाता है उसी के अन्तर्गत भुगतान किया जाय। यात्रा की व्यवस्था में जहाँ तक सम्भव हो यात्रा हेतु प्रातः प्रस्थान कराया जाय एवं ऐसे किसी भी प्रकार के भुगतान के स्थान पर पूर्व की भाँति व्यवस्था ही अपनाई जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.17

दिनाँक 19 नवम्बर, 2016 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. **सत्र 2016–17 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत होना**

सत्र 2016–17 में नये अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु समय–समय पर कुल 17 आवेदन–पत्र/ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन–पत्रों पर मा. कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति ने परीक्षणोंपरान्त कुल 04 महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की अनुशंसा की (संलग्नक– पृष्ठ संख्या–) एवं 13 महाविद्यालय/संस्थान को विश्वविद्यालय मानकों की पूर्ति न होने की कारण असंस्तुत किया (संलग्नक– पृष्ठ संख्या–)। गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा से सत्र 2016–17 से 04 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।

मान्यता बोर्ड सत्र 2016–17 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

2. सत्र 2016–17 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत होना।

सत्र 2016–17 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु समय–समय पर कुल 19 आवेदन–पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन–पत्र पर मा. कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति ने परीक्षणोंपरान्त कुल 09 अध्ययन केन्द्रों के अतिरिक्त वांछित कार्यक्रम संचालन हेतु अनुशंसा की गई (संलग्नक– पृष्ठ संख्या–) तथा कुल 10 प्रस्तावों को विश्वविद्यालय के मानक की पूर्ति न होने के कारण असंस्तुत किया (संलग्नक– पृष्ठ संख्या– । गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा से सत्र 2016–17 में पूर्व से संचालित 09 अध्ययन केन्द्रों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।

मान्यता बोर्ड सत्र 2016–17 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ.यू./613/2016, दिनांक 11.08.2016 द्वारा गठित समिति की बैठकों दिनांक 24-10-2016, 25-10-2016, 26-10-2016 एवं दिनांक 08-11-2016 की कार्यवृत्त पर विचार

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ.यू./613/2016, दिनांक 11.08.2016 द्वारा गठित समिति की बैठकों दिनांक 24-10-2016, 25-10-2016, 26-10-2016 एवं दिनांक 08-11-2016 की कार्यवृत्त संलग्नक – पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ.यू./613/2016, दिनांक 11.08.2016 द्वारा गठित समिति की बैठकों दिनांक 24-10-2016, 25-10-2016, 26-10-2016 एवं दिनांक 08-11-

2016 की कार्यवृत्त संलग्नक–01 के बिन्दु सं.–9 के क्र.सं. 3, 5 तथा 10 में कतिपय संशोधन के साथ सहमत हुई :

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रस्तावित मानक	संशोधित मानक
1.	MJ	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान) में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान आदि) में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव
2.	MCA	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty.
3.	BCA	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था।	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था। एवं (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty. (v) 10+2 अर्हता स्तर के डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रस्तावित मानक	संशोधित मानक
			अनुभव।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. <u>नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु समय–समय पर प्राप्त आवेदन–पत्रों/प्रस्तावों के निस्तारण प्रक्रिया पर विचार</u>

नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु समय–समय पर प्राप्त आवेदन–पत्रों/प्रस्तावों के निस्तारण प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु समय–समय पर प्राप्त आवेदन–पत्रों/प्रस्तावों के निस्तारण प्रक्रिया (मान्यता बोर्ड का कार्यवृत्त 19.07) यथावत रखने पर सहमत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

<u>बिन्दु संख्या 41.18</u>

<u>दिनाँक 19 नवम्बर, 2016 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।</u>

1. <u>विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण कराये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास कोई बड़ा हाल उपलब्ध न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना

पड़ता है। उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल में परीक्षा हाल के निर्माण कराये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण कराये जाने की संस्तुति की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. **विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02 से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जाने से अवगत होना**

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02के निर्माण के सम्बन्ध में उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद इकाई–02 द्वारा आगणन रू. 676.29 लाख का अनुमानित आगणन प्रस्तुत किया गया जबकि दूसरी कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा रु. 343.76 लाख का अनुमानित आगणन प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्यदायी संस्था सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद का आगणन कम होने के कारण कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02 से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जाने से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. **विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों (गंगा एवं सरस्वती परिसर) में अवस्थित महाद्वारों के निर्माण/सौन्दरीकरण (रिनोवेशन) से अवगत होना**

विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों (गंगा एवं सरस्वती परिसर) में अवस्थित महाद्वारों के निर्माण/सौन्दरीकरण (रिनोवेशन) कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि रु. 12.06 लाख के आगणन के

सापेक्ष अनुबन्ध की शर्तों के अधीन प्रथम किश्त के रूप में अनुमानित लागत रु. 12.06 लाख का 80 प्रतिशत कुल धनराशि रु. 9.64 लाख कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद अवमुक्त किया जा चुका है। वर्तमान में दो गेट का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एक गेट का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों (गंगा एवं सरस्वती परिसर) में अवस्थित महाद्वारों के निर्माण/सौन्दरीकरण (रिनोवेशन) से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

4. <u>विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में 1000 व्यक्तियों की क्षमता हेतु आडिटोरियम कम मल्टीपरपज हाल के निर्माण हेतु प्राप्त आगणन में रू. 988.34 लाख न्यूनतम पाए जाने पर सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा अनुबन्ध के उपरान्त अनुबंधित धनराशि रू. 988.34 लाख का 25% (रू. 247 लाख) अग्रिम प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया जा चुका है। नींव का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

5. <u>विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण की प्रगति से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद का भवन निर्माण कराए जाने के निमित्त सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा गठित अनुबन्ध की शर्त संख्या–07 के अनुसार अनुबंधित धनराशि रु. 99.42 लाख के सापेक्ष 25% अग्रिम के रूप

में रू. 24.85 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन हेतु पाइलिंग फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्लिंथ बीम का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण की प्रगति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

6. <u>विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित कक्ष संख्या 102 एवं 103 को मिलाकार एक वी.आई.पी. सूट बनाए जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय स्थित गेस्ट हाउस में विशिष्ट अतिथियों हेतु दो कमरे सुसज्जित कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण वित्त समिति की बैठक दिनाँक 15 फरवरी, 2016 में रखा गया जिसमें वित्त समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया जिसे कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 06 मार्च, 2016 के संकल्प संख्या 83.14(6) में यथावत स्वीकार किया :–

कार्य परिषद् ने गेस्ट हाउस साज–सज्जा विकास कार्य एवं विश्वविद्यालय सुन्दरीकरण व अन्य निर्माण मदों के लिए अनुमोदित बजट से विश्वविद्यालय स्थित गेस्ट हाउस में 02 कमरों को पूर्णतः सुसज्जित करने का निर्णय लिया।

विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित कक्ष संख्या 102 एवं 103 को मिलाकार एक वी.आई.पी. सूट बनाया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित कक्ष संख्या 102 एवं 103 को मिलाकार एक वी.आई.पी. सूट बनाए जाने हेतु सहमति व्यक्त की। साथ ही उसी प्रकार एक अतिरिक्त वी.आई.पी. सूट बनाये जाने की संस्तुति की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. <u>विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में विचार</u>

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाना है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. <u>विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण का कार्य सी.एण्ड.डी.एस, यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है। इस इकाई के द्वारा 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। छत की ढलाई का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

9. <u>विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में स्मार्ट क्लास रूम/लैब की स्थापना के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय के विज्ञान विद्या शाखा तथा कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में स्मार्ट क्लास रूम/लैब का उपभोग विभिन्न विषयों को इ–कन्टेन्ट में बदलने, मैसिव ओपेन ऑन

लाइन कोर्स (मूक) के अन्तर्गत वीडियो लेक्चर तैयार करने में तथा वर्कशाप के आयोजन में उक्त लैब की स्थापना हेतु मूलभत आवश्यकताओं की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में स्मार्ट क्लास रूम/लैब की स्थापना के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

10. <u>विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सभी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु निजी भवन की व्यवस्था किये जाने पर विचार</u>

योजना बोर्ड ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए भूमि/भवन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कुलसचिव महोदय को अधिकृत किया एवं प्रथम चरण में लखनऊ तथा वाराणसी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु भूमि/भवन व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

<u>कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.18</u>

<u>विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों हेतु मुद्रित पाठ्य सामग्री रखे जाने हेतु गंगा परिसर स्थित बैंक के पीछे 03 मंजिला भवन निर्मित कराये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय में पर्याप्त भण्डारन व्यवस्था न होने के कारण पाठ्य सामग्री प्रति वर्ष मुद्रित करानी पड़ती है जिससे विश्वविद्यालय पर अधिक व्यय भार पड़ता है जबकि एक बार मुद्रित करायी गई सामग्री कई वर्षो तक प्रयोग में लायी जा सकती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों हेतु मुद्रित पाठ्य सामग्री रखे जाने हेतु गंगा परिसर स्थित बैंक के पीछे 03 मंजिला भवन निर्मित कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.19

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त क्षेत्रीय क्षेन्द्रों पर 01–01 सुविधा सम्पन्न अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों पर शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन–अध्यापन की सुविधा के दृष्टिगत 01–01 सुविधा सम्पन्न अध्ययन केन्द्र, जिसमें प्रवेश, परामर्श, परीक्षा तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का सम्पादन सुनिश्चित कराया जा सके, स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त क्षेत्रीय क्षेन्द्रों पर 01–01 सुविधा सम्पन्न अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ.(आर.के. पाण्डेय)
कुलसचिव

सलग्नक - 02

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 24 दिसम्बर, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 42वीं (आपातकालीन) बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3	प्रो. के.एस. मिश्र, डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	प्रो. एच.एस. उपाध्याय, दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

09. डॉ. श्रुति, — सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10. डॉ. मुकेश कुमार — सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

11. श्री एस.पी. सिंह — विशेष आमंत्रित
वित्त अधिकारी,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

12. डॉ. आर.के. पाण्डेय — सदस्य–सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

01. डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा

02 प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)

03 डॉ. आर.पी.एस. यादव,
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

04 डॉ. आशुतोष गुप्ता,
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

05 प्रो. पी.के. पाण्डेय,
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 42.01

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परिनियम 8.01 के अन्तर्गत सम्मानार्थ उपाधि (Honoris Causa) प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली 2002 अध्याय 08 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को सम्मानार्थ उपाधि (Honris Causa) परिनियम 8.01 में अधिकथित निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार प्रदान करने का अधिकार है।

(1) डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डी.लिट.) अथवा महामहोपाध्याय की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिये उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायेगी।

(2) डाक्टर आफ साइन्स (डी.एस.–सी.) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विज्ञान अथवा टेक्नालॉजी की किसी शाखा की प्रगति अथवा देश में विज्ञान और टेक्नालॉजी संस्थाओं के आयोजन, संगठन अथवा विकास में पर्याप्त योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

(3) डाक्टर आफ लाज (एल.एल.डी.) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जो विख्यात वकील, न्यायाधीश अथवा विधिवेता, राजनयज्ञ हों अथवा जिन्होंने लोक कल्याण के लिये महत्वपूर्ण योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने पं. श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, मा. श्री राज्यपाल, पश्चिम बंगाल को डाक्टर आफ लाज (एल.एल.डी.) की मानद उपाधि (Honoris Causa) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या – 42.02

विज्ञापन संख्या संख्या 07/2016 दिनाँक 16–05–2016 के अन्तर्गत विज्ञापित विभिन्न शैक्षणिक पदों पर संशोधित विज्ञापन कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनाँक 04 मई, 2016 (तृतीय संशोधन) के

आलोक में विज्ञापन संख्या संख्या 07/2016 दिनाँक 16–05–2016 के अन्तर्गत विज्ञापित निम्नलिखित विभिन्न पदों पर संशोधित विज्ञापन कराया जाना है :–

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	School / Subject & Reservation Category	Pay Scale (Prerevised) (in Rs.)
1.	Director	02	School of Health Sciences (UR-01), School of Education (UR-01)	37400-67000 (Grade Pay Rs. 10000/-)
2.	Professor	05	Botany (UR-01), English (UR-01), Political Science (UR-01), Education (UR-01), Computer Science (UR-01)	37400-67000 (Grade Pay Rs. 10000/-)
3.	Deputy Director/ Associate Professor	01	School of Humanities (UR-01)	37400-67000 (Grade Pay Rs. 9000/-)
4.	Associate Professor	03	Political Science (UR-01), Philosophy (UR-01), Economics (UR-01)	37400-67000 (Grade Pay Rs. 9000/-)
5.	Assistant Director / Assistant Professor	01	School of Social Sciences (UR-01)	15600-39100 (Grade Pay Rs. 6000/-)

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनाँक 04 मई, 2016 (तृतीय संशोधन) के आलोक में विज्ञापन संख्या संख्या 07/2016 दिनाँक 16–05–2016 के अन्तर्गत विज्ञापित उक्त विभिन्न पदों पर संशोधित विज्ञापन कराये जाने एवं साथ ही कार्य परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 25 नवम्बर, 2016 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न रिक्त पदों का भी विज्ञापन कराये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या – 42.03

विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के रिक्त पद पर विज्ञापन कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत डॉ. मृदुल श्रीवास्तव द्वारा अपने पारिवारिक कठिनाइयों के कारण दिये गये त्याग पत्र को कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 25 नवम्बर, 2016 के संकल्प संख्या 86.03 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। डॉ. श्रीवास्तव के विश्वविद्यालय से दिनाँक 08–12–2016 को कार्यमुक्त हो जाने के फलस्वरूप परीक्षा नियंत्रक का पद वर्तमान में रिक्त है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के रिक्त पद पर विज्ञापन कराये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ.(आर.के. पाण्डेय)
कुलसचिव

संलग्नक-03

उ त्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 18 फरवरी, 2017 को अपराह्न 2:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 43वी बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. अरविन्द दीक्षित, कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	सदस्य
4.	प्रो. के.एस. मिश्र, डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	प्रो. एच.एस. उपाध्याय, दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
9.	डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
10.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
12.	डॉ. संतोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

13.	डॉ. श्रुति, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
14.	डॉ. मुकेश कुमार असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
15.	श्री एस.पी. सिंह वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रित
16.	डॉ. जी.के. द्विवेदी, परीक्षा नियंत्रक, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रित
17.	डॉ. आर.के. पाण्डेय कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य–सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(02) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)

(02) डॉ. टी.एन. दुबे,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने सभी सम्मानित सदस्यों को दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को होने वाले दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने हेतु आग्रह किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 43.01

दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को आयोजित होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार

विद्या परिषद् ने दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को आयोजित होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को आयोजित होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर

डिप्लोमा/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत पूर्ण सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 43.02

दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को आयोजित होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदन पर विचार

दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को आयोजित होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदन पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को आयोजित होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2015/जून 2016 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 43.03

दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना

कुलपति जी ने दिनाँक 19 फरवरी, 2017 को होने वाले ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ.(आर.के. पाण्डेय)
कुलसचिव

संलग्नक – 04

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम (सेक्टर–एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

आज दिनांक 01/04/2016 को अपराह्न 03:30 बजे कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा की स्कूल बोर्ड की बैठक इस विश्वविद्यालय से PGDCA करने वाले शिक्षार्थियों को MCA द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश देने की व्यवस्था पर विचार करने के लिए निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में सम्पन्न की गयी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, (अध्यक्ष) यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद।
2. डॉ. श्रुति, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्याशाखा, (सदस्य), यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद।
3. सुश्री मारिषा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्याशाखा, (सदस्य), यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद।
4. श्री मनोज कुमार बलवंत, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्याशाखा, यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद।
5. डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता, शैक्षणिक परामर्शदाता (आमंत्रित सदस्य) यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद।

बैठक में निम्नलिखित कार्यक्रमों की संस्तुतियां की गयी –

- सत्र 2015–16 से MCA की पाठ्यक्रम संरचना CBCS पद्धति पर संचालित की जा रही है। अतः बैठक में संस्तुत किया गया कि PGDCA की भी पाठ्य संरचना CBCS पद्धति पर लागू की जानी चाहिए।
- स्कूल बोर्ड के सदस्यों द्वारा संस्तुत किया गया कि MCA प्रथम वर्ष CBCS पाठ्यक्रम संरचना को PGDCA पाठ्यक्रम संरचना के रुप में स्वीकार कर लिया जाय। CBCS आधारित PGDCA करने वाले शिक्षार्थियों को सीधे MCA द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय।
- पुराने शिक्षार्थी जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से PGDCA उत्तीर्ण किया है उन्हें पुराने पाठ्य संरचना के सापेक्ष ही MCA द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- इस व्यवस्था का लाभ पूर्व में उपाधि धारक शिक्षार्थियों के लिए केवल सत्र 2017–18 तक ही लागू करने की संस्तुति की जाती है। इसकी सूचना वेबसाइट या दैनिक समाचार पत्रों में दी जा सकती है एवम् सत्र 2017–18 में मुद्रित होने वाली सूचना विवरणिका में भी मुद्रित करा दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

अंत में धन्यवाद् ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न की गयी।

डॉ. आशुतोष गुप्ता

डॉ. श्रुति

सुश्री मारिषा

श्री मनोज कुमार बलवंत

डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता

Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)

Pattern: CBCS
Minimum Duration: 1 Year
Maximum Duration: 3Years
Course Fee: Rs. 15000.00
Minimum Age: No bar
Maximum Age: No bar
Medium of Instruction: English
Eligibility: Three years Bachelor degree with Mathematics at 10+2 or six months Computer Course
Assignment: Yes

Course Code and Detail

Semester	Paper No.	Course Code	Title of Course	Credits	Compulsory /Elective
First Semester	Compulsory Core Course				
		PGDCA-01	Discrete Mathematics	4	Compulsory
		PGDCA-02	Problem Solving and Programming through C	4	
		PGDCA-03	Computer Organization and Language	4	
		PGDCA-04	Lab-1 (Based on PGDCA 02)	4	
	Discipline Centric Elective Course				
		PGDCA-E1 OR PGDCA-E2	Computer Architecture OR Microprocessor and its Applications	4 OR 4	Elective
Credits of First Semester				20	
Second Semester	Compulsory Core Course				
	3017	PGDCA-05	Object oriented Programming with C++	4	Compulsory
	3018	PGDCA-06	Database Management System	4	
	3019	PGDCA-07	Mini Project	4	
	3020	PGDCA-08	Lab-2 (Based on C++)	4	
	Discipline Centric Elective Course				
	3021 or 3022	PGDCA-E3 OR PGDCA-E4	Data Warehouse and Mining OR System Analysis and Design	4 OR 4	Elective
Credits of Second Semester				20	
Total Credits :				40	

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम (सेक्टर–एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

आज दिनांक 07/04/2016 को अपराह्न 03:30 बजे कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा की स्कूल बोर्ड की बैठक नये पाठ्यक्रम संचालित करने पर विचार करने के लिए निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में सम्पन्न की गयी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, (अध्यक्ष) यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद।
2. डॉ. श्रुति, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्याशाखा, (सदस्य), यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद।
3. सुश्री मारिषा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्याशाखा, (सदस्य), यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद।
4. डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता, शैक्षणिक परामर्शदाता (आमंत्रित सदस्य) यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद।

बैठक में निम्नलिखित कार्यक्रमों की संस्तुतियां की गयी –

- सत्र 2017–18 से PG Diploma in Cyber Security की पाठ्यक्रम संरचना एवं पाठ्यक्रम (संलग्नक–1) Open Education Resources Policy के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जाय।
- स्कूल बोर्ड के सदस्यों द्वारा Certificate Course in Big Data Analysis को भी सत्र 2017–18 से प्रारम्भ करने की संस्तुति की गई साथ ही साथ इसके पाठ्यक्रम संरचना निर्माण हेतु वाह्य विशेषज्ञों से उसपर विचार विमर्श करते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
- स्कूल बोर्ड के सदस्यों द्वारा संस्तुत किया गया कि ऐसे अध्ययन केन्द्र जहां पर UGSTAT विगत 3 वर्ष से अधिक वर्षों से संचालित हो रहें हैं ऐसे केन्द्रों को बिना किसी मांग के MASTAT/PGSTAT की मान्यता प्रदान की जा सकती है क्योंकि इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लैब की आवश्यकता नही होती है। MASTAT/PGSTAT के नामांकन को बढ़ाने के लिए एवं उ0प्र0 के दूरस्थ शिक्षार्थियों के माध्यम से बार–बार MASTAT/PGSTAT कार्यक्रम को करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं परन्तु सीमित अध्ययन केन्द्रों पर इनकी मान्यता होने के कारण अधिकांश शिक्षार्थी इस कार्यक्रम को करने से प्रतिवर्ष वंचित हो रहे हैं।

अंत में धन्यवाद् ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न की गयी।

डॉ. आशुतोष गुप्ता

डॉ. श्रुति

सुश्री मारिषा

डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता

Annexure - 1

PG Diploma in Cyber Security

Minimum Duration: 1 Year
Maximum Duration: 3 Years
Course Fee: Rs. 15000.00
Minimum Age: No bar
Maximum Age: No bar
Medium of Instruction: English
Eligibility: Three years Bachelor degree with Mathematics at 10+2 or six months Computer Course
Assignment: Yes

Course Objective:
In this information technology world, most of the business organizations depend on different kinds of Information Technology solutions, like e-commerce, e-governance, e-learning, e-banking etc. All communications must be secured since the information stored and conveyed is an invaluable resource of any business organization. With growing in number of the computer network attacks and other sophisticated attack technologies, attackers are gaining access to sensitive information like credit card details and other financial information. Securing these valuable data and information is the most challenging task for any organization. The course will provide a pathway for, information technology professionals seeking to commence or further progress their careers in the cyber security domain. This course is designed to meet the demand for cyber security professionals in government, law enforcement, and industry.

Semester I:

Paper No.	Course Code	Title of the Course	Terminal Examination	Assignment	Total	Credits
	PGDCS-01	Fundamentals of Information Security	70	30	100	4
	PGDCS-02	Cyber Security Techniques	70	30	100	4
	PGDCS-03	Cyber Attacks and Counter Measures: User Perspective	70	30	100	4
	PGDCS-04	Practical Handbook of Internet Security for Beginners [LAB]	70	30	100	4
		Total	280	120	400	16

95

Semester II:

Paper No.	Course Code	Title of the Course	Terminal Examination	Assignment	Total	Credits
	PGDCS-05	Information Security Assurance: Framework, Standards & Industry Best Practices	70	30	100	4
	PGDCS-06	Information System	70	30	100	4
	PGDCS-07	Digital Forensics	70	30	100	4
	PGDCS-08	Advanced Cyber Security Techniques	70	30	100	4
	PGDCS-09	Major Project	100	--	100	8
		Total	380	120	500	24

SYLLABUS
Semester I
PGDCS-01: Fundamentals of Information Security
BLOCK I: INTERNET, E-COMMERCE & E-GOVERNANCE BASICS

Unit I: Introduction and History, Internet address, Domain Naming System, Internet infrastructure, ISP, Role of ISP, International & National ISP's, ccTLD (Country Code Top Level Domain), TLD (Top Level Domain) Types of accounts, Worldwideweb (WWW), Application areas of Internet. E-Governance: Need of E-Governance, Issues in E-Governance applications and the Digital Divide; Evolution of E-Governance, Its scope and content; growth in E-Governance global trends, Other issues.

Unit II: Model of Digital Governance: Broadcasting/ Wilder Dissemination Model, Critical Flow Model, Comparative Analysis Model, Mobilization and Lobbying Model, Interactive-service Model/Government-to-Citizen-to-Government Model (G2C2G); Evolution in E-Governance and Maturity Models: Five Maturity Levels, Characteristics of Maturity Levels, Key areas, Government framework, Digital India Program, Towards Good Governance through E-Governance Models.

Unit III: E-readiness: Digital System Infrastructure, Legal Infrastructural Preparedness, Institutional Infrastructural Preparedness, Human Infrastructural Preparedness, Technological Infrastructural Preparedness; Evolutionary Stages in E-Governance.

.

Unit IV: E-Commerce: Definition of E-commerce, Business Models of E-commerce and Infrastructure; B2B, B2C, B2G and other models of e-commerce; Types of payment systems - e-cash and currency servers, e-cheques, credit cards, smart cards, electronic purses and debit cards; e-wallet, Google Wallet, Digital locker and other initiatives of Central government and state Governments.

BLOCK II: CYBER CRIME

96

Unit I: Introduction to computer crime and cyber crimes. Distinction between cyber crime and conventional crimes. Reasons for commission of cyber crime. Some basic terminologies- Virus, Malware, worm, trojan, spyware, scareware, botnets, ransomware and zombies.
Unit II: Kinds of cyber crimes – Hacking, cyber stalking, cyber pornography; online forgery and fraud, Cyber terrorism, Cracking software, Downloading illegal music files, Creating and distributing viruses on other computers, Posting confidential business information on the internet, copyright infrigment, identity theft, phishing/spoofing, credit card fraud, on-line auction fraud, spamming, denial of service attack, debt elimination, internet extortion, cyber defamation, Smart Phone Auditing.
Unit III: Cyber criminals, Organized cyber crimes, Classification of cyber crimes, Cyber crime and Cyber terrorism, Information Warfare and Surveillance, Introduction to IT act.
Unit IV: Case Studies: Cyber Threats and Attacks, Impacts and response actions.
BLOCK III: INFORMATION SECURITY
Unit I: Introduction to Cyber Security, Security principles, Security triad: Confidential, Integrity, Availability;
UNIT II: Introduction to ISMS
Unit III: Cyber security techniques for secure e-commerce: authentication, encryption, digital signatures, antivirus, firewall; Computer forensics, steganography
Unit IV: Ethical aspect of Cyber Security ,Tips for computer security: Think before you click, Update everything, Backup your files, Secure your wireless network, Use strong passwords, etc.

PGDCS-02: Cyber Security Techniques

BLOCK I
Unit I: : Information Technology Security Policy , Aspects of Organizational security- IT security, Physical security, financial security, Legal security, online security.
Unit II: Modes of Attack- Insider attack, outsider attack. Why to report a cyber crime?, Reporting a cyber crime- How and when to report an incident?
Unit III: Intrusion Detection System/Prevention Systems and Incident Handling.
Unit IV: securing IT assets, Implementing Hardware Based Security, Software Based Firewalls, Securing IS assets, Prevent your network from anonymous attack, Wireless Security, WEP or WPA, Protect USB port
BLOCK II
Unit I: Security Standards & assurance frame work.
Unit II: desktop security and malware
Unit III: e-commerce & application security.
Unit IV: social engineering.
BLOCK III
Unit I: Risk management.
Unit II: Computer forensics & Collection of Digitial Evidence
Unit III: Cyber Security initiatives in India: National Information Security Assurance Programme (NISAP), Indian Computer Emergency Response Team (Cert-In), Indo US Cyber Security Forum (IUSCSF), National counter terrorism centre (NCTC) of India, National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIPC) of India, Institute for Defence Studies and Analyses(IDSA), National Intelligence Grid (Natgrid) project of India, Crime and Criminal Tracking Networks and systems (CCTNS) project of India, national cyber cordination center, botnet cleaning center, malware analysis center.
Unit IV: Cyber Laws, National Cyber security policy, national cyber crisis plan.

PGDCS-03: Cyber Attacks and Counter Measures: User Perspective

BLOCK I
Unit I: cyber attacks, types of attacks motivation.
Unit II: Assests Threats and Vulnerabilities , Risk Management.
Unit III: Information Security Framework: Organisation and Responsibilities, The Organisation's Management of Security, Organisational Policy, Standards and Procedures
Unit IV: Information Security Governance, Information Security Implementation, Security Information Management, Legal Framework , Security Standards and Procedures
BLOCK II
Unit I: Procedural / People Security Controls: People, User Access Controls, Communication, Training and Awareness
Unit II: Technical Security Controls, Protection from Malicious attacks, Networks and Communications, External Services, Cloud Computing, IT Infrastructure
Unit III: Software Development and Lifecycle: Testing, Audit and Review, Systems Development and Support
BLOCK III
Unit I: Authentication and password security
Unit II: Wireless security
Unit III: Investigation and forensic technique, investigate fraud email, fake social media profile investigation, investigate origin of spoof mail and genuine mail
Unit IV: introduction and application of cryptography

PGDCS-04: LAB

Semester II

PGDCS-05: Information Security Assurance: Framework, Standards & Industry Best Practices

BLOCK I
Unit I: Interrelationship between Regulation, policies, standard procedures and guidelines. Standards for Information Security: ISO standards- ISO/IEC 27002:2005 (Code of Practice for Information Security Management), ISO/IEC 27001:2005 (Information Security Management System - Requirements),
Unit II: Regulations related to Information Security- SOX, GLBA, COSO, HIPPA, FISMA, FIPS, FFIEC, common elements of compliance, Security controls, common pitfalls of a effective Information Security program.
Unit III: ISO/IEC 15408 (Evaluation Criteria for IT Security), ISO/IEC 13335 (IT Security Management); Payment Card Industry data security standards, COBIT, ITIL (OR ISO/IEC 20000 SERIES)
Unit IV: Introduction to industry best practices including NIST, SANS ,OWASP
BLOCK II
Unit I: Overviews of ISO-27K.
Unit II: ISO 27001
Unit III: ISO-27002
Unit IV: Other standards, guidelines, ISO- 27005
BLOCK III
Unit I: Security auditing
Unit II: Information security
Unit III: Disaster recovery
Unit IV: Business continuity planning and management

PGDCS-06: Information System

BLOCK I
Unit I: Networking and Communications
Unit II: Cryptography
Unit III: VA/PT- Basics
Unit IV: Network Security, Email Security, Infrastructure & Web Application Security
BLOCK II
Unit I: History of Cryptography, Basic concepts of Cipher, simple cipher, digital cipher, Key management.
Unit II: Cryptographic Algorithms, symmetric cipher, asymmetric ciphers, data integrity algorithms
Unit III: Key management and distribution, user authentication Protocols
Unit IV: Network and internet security, Transport level security, wireless network security, e-mail Security, IP Security.
BLOCK III
Unit I:footprinting and reconnaissance
Unit II: scanning and enumeration
Unit III: gaining access and exploitation
Unit IV: post exploitation activities

PGDCS-07: Digital Forensics

BLOCK I
Unit I: Introduction to Computer Forensic, evolution and objective, goals of forensic readiness, role of forensic investigators,
Unit II: Computer forensic investigation process
Unit III : Digital Evidence and first responder procedure
Unit IV : Understanding storage media and file system

99

BLOCK II
Unit I: Windows forensic- data acquisition and duplication, recovering deleted files and deleted partitions.
Unit II: Application password crackers, Image forensic, log capturing and events correlation
Unit III: Network Forensic
Unit IV: Investigating wireless attacks
BLOCK III
Unit I: Investigating web attacks
Unit II: Investigating email attacks
Unit III: Mobile forensic
Unit IV: Investigative reports and becoming expert witness, cyber regulations and IT act

PGDCS-08: Advanced Cyber Security Techniques

BLOCK I
Unit I: Perimeter Devices Security
Unit II: Data Center Security
Unit III: Secure Network design/Implementation
Unit IV: Physical and environment security
BLOCK II
Unit I: server security- patch management, server hardening.
Unit II: services hardening
Unit III: advanced web application security.
Unit IV: E-mail Security
BLOCK III
Unit I: desktop hardening
Unit II: mobile devices
Unit III: wireless
Unit IV: advanced persistent threats

PGDCS-09: PROJECT

(7)

संलग्नक - 05

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

आज दिनांक 06.04.2017 को पूर्वाह्न 10 :15 बजे मानविकी विद्याशाखा के स्कूल बोर्ड की बैठक निदेशक, मानविकी विद्याशाखा के कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. आर.पी.एस.यादव — अध्यक्ष
   निदेशक, मानविकी विद्याशाखा
2. डॉ0 रुचि बाजपेई — सदस्य
   असि. प्रोफेसर
   मानविकी विद्याशाखा
3. डॉ0 साधना श्रीवास्तव — सदस्य
   असि. प्रोफेसर, मानविकी विद्याशाखा

बैठक में निदेशक द्वारा सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात दिनांक 29.3.2017 की अध्ययन बोर्ड की बैठक की संस्तुतिओं पर विचार किया गया तदोपरान्त बैठक में निम्न संस्तुतियाँ की गई–

- सत्र 2015–16 से M.J. की पाठ्यक्रम संरचना CBCS पद्धति पर संचालित की जा रही है। अतः बैठक में संस्तुत किया गया कि PGDJMC का भी पाठ्य संरचना CBCS पद्धति पर लागू की जानी चाहिए।
- सदस्यों द्वारा संस्तुत किया गया कि M.J. प्रथम वर्ष CBCS पाठ्यक्रम संरचना को PGDJMC पाठ्यक्रम संरचना के रुप में स्वीकार कर लिया जाय। CBCS आधारित PGDJMC पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को सीधे M.J. द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय।
- पुराने शिक्षार्थी जिन्होंने CBCS पद्धति लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से PGDJMC उत्तीर्ण किया है उन्हें पुराने पाठ्य संरचना के सापेक्ष ही M.J. द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

Sadhana

- इस व्यवस्था का लाभ पूर्व में उपाधि धारक शिक्षार्थियों के लिए केवल सत्र 2017–18 तक ही लागू करने की संस्तुति की जाती है। इसकी सूचना वेबसाइट या दैनिक समाचार पत्रों में दी जा सकती है एवम् सत्र 2017–18 में मुद्रित होने वाली सूचना विवरणिका में भी मुद्रित करा दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

अंत में निदेशक द्वारा धन्यवाद् ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न की गयी।

6.4.17
डॉ. आर.पी.एस.यादव

06.04.17
डॉ.रुचि बाजपेई

Sadhana 6.4.17
डॉ. साधना श्रीवास्तव

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

आज दिनांक 29.03.2017 को अपराह्न 10 :15 बजे मानविकी विद्याशाखा की अध्ययन बोर्ड की बैठक इस विश्वविद्यालय से PGDJMC पाठ्यक्रम करने वाले शिक्षार्थियों को M.J. द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश देने की व्यवस्था पर विचार करने के लिए निदेशक, मानविकी विद्याशाखा के कक्ष में सम्पन्न की गयी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. आर.पी.एस.यादव — अध्यक्ष
   निदेशक, मानविकी विद्याशाखा
2. प्रो. अनिल कुमार उपाध्याय — सदस्य
   विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
   म.गॉ. काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3. प्रो. गोविन्द जी पाण्डेय — सदस्य
   विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
   बाबा भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
4. डॉ0 साधना श्रीवास्तव — सदस्य
   असि. प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार
5. डॉ0 सतीश चन्द्र जैसल — सदस्य
   असि. प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार
6. डॉ0 रामजी मिश्र — विशेष आमंत्रित सदस्य
   वरिष्ठ परामर्शदाता

बैठक में निम्नलिखित कार्यक्रमों की संस्तुति की गयी –

- सत्र 2015–16 से M.J. की पाठ्यक्रम संरचना CBCS पद्धति पर संचालित की जा रही है। अतः बैठक में संस्तुत किया गया कि PGDJMC का भी पाठ्य संरचना CBCS पद्धति पर लागू की जानी चाहिए।
- अध्ययन बोर्ड के सदस्यों द्वारा संस्तुत किया गया कि M.J. प्रथम वर्ष CBCS पाठ्यक्रम संरचना को PGDJMC पाठ्यक्रम संरचना के रुप में स्वीकार कर लिया जाय। CBCS आधारित PGDJMC पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को सीधे M.J. द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय।

- पुराने शिक्षार्थी जिन्होंने CBCS पद्धति लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से PGDJMC उत्तीर्ण किया है उन्हें पुराने पाठ्य संरचना के सापेक्ष ही M.J. द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- इस व्यवस्था का लाभ पूर्व में उपाधि धारक शिक्षार्थियों के लिए केवल सत्र 2017–18 तक ही लागू करने की संस्तुति की जाती है। इसकी सूचना वेबसाइट या दैनिक समाचार पत्रों में दी जा सकती है एवम् सत्र 2017–18 में मुद्रित होने वाली सूचना विवरणिका में भी मुद्रित करा दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न की गयी।

29.3.17
डॉ. आर.पी.एस.यादव

29/03/2017
प्रो. अनिल कुमार उपाध्याय

29/3/17
प्रो. गोविन्द जी पाण्डेय

29.03.2017
डॉ0 साधना श्रीवास्तव

29/03/2017
डॉ0 सतीश चन्द्र जैसल

डॉ0 रामजी मिश्र

एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (सेमेस्टर पद्धति)

CBCS- पद्धति

पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.जे.एम.सी

Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication (PGDJMC)

कार्यक्रम कोड / Programme Code : 204

कार्यक्रम की अवधि (वर्षों में) Program Duration (in yrs.) : न्यूनतम Minimum : 1 अधिकतम Maximum : 3

कार्यक्रम का माध्यम / Medium of instruction हिन्दी / Hindi

कार्यक्रम शुल्क प्रतिवर्ष : Programme Fee Per yer. 6000/-

प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता / Minimum Qualification for Admission स्नातक (3 वर्षीय) Three year Bachelor Degree

अधिन्यास कार्य / Assignment Work : आवश्यक / Essential

पाठ्यक्रम कोड एवं विवरण

Semester/ सेमेस्टर	Paper No./ पेपर नं0	Course Code/पाठ्यक्रम कोड	Title Course/पाठ्यक्रम का शीर्षक	Credits/ क्रेडिट	Compulsory /Elective अनिवार्य / वैकल्पिक
First Semester/ प्रथम सेमेस्टर	**Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम**				
		PGDJMC-01	जनसंचार एवं पत्रकारिता: स्वरूप और सिद्धान्त Mass Communication an Journalism: Nature and Principles	8	अनिवार्य
		PGDJMC-02	मीडिया और समाज Media and Society	8	
	Open Elective Course (Other Disciplines)/अन्य विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम				
		PGDCWH-01 Or MAPH-01	सृजनात्मक लेखन के सिद्धान्त अथवा भारतीय दर्शन	8 or 8	वैकल्पिक
प्रथम सेमेस्टर का कुल क्रेडिट				24	
Second Semester/ द्वितीय सेमेस्टर	**Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम**				
		PGDJMC-03	समाचार संकलन, लेखन एवं सम्पादन Reporting, Writing and editing	8	अनिवार्य
		PGDJMC-04	जनसंपर्क एवं विज्ञापन– I Public Relation and Advertising- I	8	
		PGDJMC-05	प्रायोगिक कार्य Practical Work	8	
	Discipline Centric Elective Course / विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम				
		PGDEM&FP-02 Or PGDRJMC-04	फिल्म: परिचय सिद्धान्त एवं इतिहास Film: Introducation, Principles and Histroy अथवा ग्रामीण पत्रकारिता के विविध आयाम Various Dimensions of Rural Journalism	8 8	वैकल्पिक
द्वितीय सेमेस्टर का कुल क्रेडिट				32	

PGDJMC-05 (प्रायोगिक कार्य) – शिक्षार्थी प्रायोगिक कार्य के लिए निम्नलिखित 15 शीर्षक में से किन्हीं 8 शीर्षक पर प्रायोगिक कार्य निर्दिष्ट सुपरवाइजर के देख–रेख में सम्पन्न करेंगे।
(1) समाचार दो कालम–01, तीन कालम–02, (2) फालोअप–01 (3) समाचार विश्लेषण (5 W IH) –01 (4) लेख–01 (750 शब्द न्यूनतम) (5) फीचर–01 (6) सम्पादकीय–01 (7) न्यूज रिक्रप्ट (टीवी)–01ए (8) न्यूज रिक्रप्ट (रेडिओ)–01 (9) विज्ञापन कॉपी (समाचार पत्र हेतु)–01(10) विज्ञापन कॉपी (टीवी हेतु)–01 (11) विश्वविद्यालय की वेबसाइट का विश्लेषण–02 (12) फिल्म समीक्षा–01 (13) पेज ले आउट–01 (14)
संचार का माडल व्याख्या सहित–02 (15) संपादक के नाम पत्र–02

Sadhana

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संख्या: ओ.यू./1879/2017 दिनांक 28-03-2017

सूचना

विश्वविद्यालय के मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय से सम्बन्धित PGDJMC पाठ्यक्रम में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) एवं कौशल विकास का क्रेडिट ढाँचा (CFSD) के अनुसार संशोधन एवं सम्बन्धित दिशा–निर्देशों हेतु पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में गठित अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनाँक 29–03–2017 को पूर्वाह्न 10:15 बजे निदेशक, मानविकी विद्या शाखा के कक्ष में आहूत की गयी है।

सम्मानित निम्न सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

1. डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. डॉ. साधना श्रीवास्तव, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. डॉ. सतीश चन्द्र जैसल, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. प्रो. गोविन्द जी पाण्डेय, पत्रकारिता विभाग, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. प्रो. ए.के. उपाध्याय, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी।

वाह्य सदस्यों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

28/3/17
डॉ.(आर.के. पाण्डेय)
कुलसचिव

पृ.संख्या : ओ.यू./1879(1)/2017 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड के सदस्यगण।
2. वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

28/3/17
डॉ.(आर.के. पाण्डेय)
कुलसचिव

संलग्नक - 06

स्कूल बोर्ड शिक्षा विद्याशाखा, की बैठक दिनांक 27/03/2017 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 27/03/2017 को सायं 04 बजे निदेशक शिक्षा विद्याशाखा कक्ष में स्कूल बोर्ड, शिक्षा विद्याशाखा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रो0 पी.के.पाण्डेय ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का स्वागत किया तदोपरान्त बी0एड0 व बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों के संशोधित अध्यादेश, एन. सी. टी. ई. की बेवसाइट पर उपलब्ध एन0सी0टी0ई0 रेगुलेशन 2014 के संशोधन सम्बन्धी प्रपत्र, साथ ही आर0सी0आई द्वारा मई 2015 में जारी नार्म्स एण्ड रेगुलेशन फार ओपेन एण्ड डिस्टेन्स लर्निंग प्रोग्राम 15 मई 2015 को प्रस्तुत करते हुए विचार विमर्श कर वांछित संशोधन प्रस्तावित करने का निवेदन किया।

सभी सदस्यों ने गहन विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न संस्तुतियां की–

1- बी0एड0 कार्यक्रम के संशोधित अध्यादेश में एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी Information on Correction in / modification of NCTE Regulation 2014 के अनुरूप निम्न संशोधन प्रस्तावित है–

बिन्दु	विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश में प्रावधान	NCRT के Information on Correction in / Modifications of NCTE Regulation, 2014 में संसूचित संशोधनों के अनुसार प्रस्तावित प्रावधान
V-Eligibility For Admission	1- The following categories shall be eligible for admission to B.Ed. Programme a. Trained in-service teachers in elementary education in the schools located with in U.P. b. Candidates who have completed a NCTE recognized Teacher Education Programme through Face-to-Face mode and are residents of U.P.	The eligibility for Admission to the B.Ed. Programme shall be as follows- Candidates with at least 50% marks either in the Bachelors Degree and / or in the Masters degree in Science/Social Science/Humanities Bachelor's in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto , are eligible for admission

27/3/17 27/03/17

	But in case of In-service teacher he has to work as a teacher in the school during the programme otherwise his/her admission shall be treated as cancelled without any notice.	to the programme. And Trained in-service teachers in elementary education in the schools located within U.P. or Candidates who have completed a NCTE recognized Teacher Education Programme through Face-to-Face mode and are residents of U.P. But in case of In-service teacher he has to work as a teacher in the school during the programme otherwise his/her admission shall be treated as cancelled without any notice.
	4- The candidatates for the Programme shall be admitted in accordance of the total score obtained in the B.Ed. admission test organized by the university. The reservation policy of the State Government shall be followed for providing opportunities of upliftment to the S.C./S.T./O.B.C. candidates as well as for other specified categories of applicants.	4 - The candidatates for the Programme shall be admitted in accordance of the total score obtained in the B.Ed. admission test organized by the university. The reservation and relaxation policy of the State Government shall be followed for providing opportunities of upliftment to the S.C./S.T./O.B.C. candidates as well as for other specified categories of applicants.

2- पूर्व में जारी नार्म्स एण्ड रेगुलेशन अप्रैल 2015 के आधार पर विश्वविद्यालय बी. एड. विशिष्ट शिक्षा संशोधित अध्यादेश में तथा आर.सी.आई. द्वारा वर्तमान में संसूचित एवं संशोधित नार्म्स एण्ड रेगुलेशन 15 मई 2015 के आधार पर निम्न संशोधन प्रस्तावित है–

27/04/17

बिन्दु	विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश में प्रावधान	नार्म्स एण्ड रेगुलेशन 15 मई 2015 में संसूचित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित प्रावधान
Intake	The Maximum intake for the B.Ed. Spl E.d. (Disability Specialization) course per academic session shall be 500 students subject to the condition that one study centres shall not enroll more than 40 Students in a given session.	The Maximum intake for the B.Ed. Spl E.d. (Disability Specialization) course per academic session shall be 500 students subject to the condition that one study centers shall not enroll more than 50Students in a given session.
Eligibility	(i.) Graduating Degree in any discipline from recognized University with minimum 50% marks. (ii) In Service teacher working in Govt. School/ (Aided or unaided) / Private Schools having minimum two years of teaching experience. OR (iii) Candidates fulfilling any one of the following conditions:- (A) Parent of a child with disability (B) Person with disability possessing Disability Certificate issued by the competent authority (C) Possessions of any RCI approved diploma / degree. In case of candidates under category (ii) Their teaching Experience certificate* should be duly countersigned by Private/ Head of school. in case of Private school, it has	1- Candidates with at least 50% marks either in the Bachelors Degree and /or in the Masters degree in Science/ Social Science/ Humanities, bachelor's in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto , are eligible for admission to the programme. 2- The reservation and relaxation for SC/ST/OBC/PWD and other categories shall be as per the rules of the Central Government/ State

27/04/2017

	to be countersigned by District Education officer. * University/ Institutions enrolling cadets for B.Ed. Spl. Ed. (Disability Specialization & Inclusive Education) – ODL under in – service categories are required to certify the authenticity of the Teaching experience of the candidates.	Government, whichever is applicable. 3- However, weightage to be given to the candidate fulfilling any one of the following conditions:- (A) Parent of a child with disability (B) Person with disability possessing Disability Certificate issued by the competent Authority (C) Possessions of any RCI approved diploma / degree.

धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

27/3/17

प्रो० (पी० के० पाण्डेय)

डॉ (दिनेश सिंह)

27/03/2017

डॉ (मुकेश कुमार)

संलग्नक-07

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम (सेक्टर–एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

आज दिनांक 07/04/2017 को पूर्वाह्न 01:00 बजे कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक शैक्षणिक परिसर में निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में आयोजित की गयी।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा,यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद (अध्यक्ष)
2. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा, यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद (सदस्य)
3. डॉ. आर.पी.एस.यादव, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद (सदस्य)
4. डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, यू0पी0आर0टी0ओ0यू0, इलाहाबाद (विशेष आमंत्रित सदस्य)

सर्वप्रथम निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। एवं बैठक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श किया तथा निम्नलिखित दो नये कार्यक्रमों को संचालित करने की संस्तुति प्रदान की।

1. Certificate Programme in Gardening (CPIG)
2. Diploma in Watershed Management (DWM)

उक्त कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण (प्रवेश अर्हता, पाठ्य संरचना तथा अन्य) संलग्नक के रुप में प्रस्तुत है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

07.04.2017 07/04/17 7.4.17

(डॉ. पी.पी. दुबे) (डॉ. ओमजी गुप्ता) (डॉ. आर.पी.एस.यादव) (डॉ. आशुतोष गुप्ता)

बागवानी में प्रमाणपत्र कार्यक्रम

Certificate Programme in Gardening (CPIG)

कार्यक्रम कोड
Programme Code :

कार्यक्रम अवधि
Programme Duration

न्यूनतम : 06 माह अधिकतम : 2 वर्ष
Minimum : 06 Months Maximum : 2 Years

कार्यक्रम माध्यम : हिन्दी
Medium of Instruction: Hindi

कार्यक्रम शुल्क : 3000/-
Programme Fee : 3000/-

प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता : 8वीं पास या समतुल्य
Eiligibility for Admission : 8th Pass or Equivalent

अधिन्यास कार्य : आवश्यक नहीं
Assignment Work : Not Essential

पाठ्यक्रम कोड एवं विवरण

Duration	Course Code	Title of the Course/ पाठ्यक्रम का शीर्षक
06 Month	CPIG -01	बागवानी के मूल तत्व
	CPIG -02	फल, सब्जी एवं पुष्पों की खेती
	CPIG -03	पौधशाला व्यवस्थापन एवं प्रबन्धन
	CPIG -04	वाटिका व्यवस्थापन : सर्वेक्षण आधारित प्रायोगिक कार्य रिपोर्ट

अध्ययन केन्द्र :– विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अध्ययन केन्द्र (मांग के आधार पर)
परीक्षा – विश्वविद्यालय के नियमानुसार

विस्तृत पाठ्यक्रम –

CPIG -01 - बागवानी के मूल तत्व

Block-01 - बागवानी एक परिचात्मक अध्ययन
- Unit -01 - बागवानी की परिभाषा
- Unit -02 - बागवानी का महत्व
- Unit -03 - बागवानी का विषय क्षेत्र एवं भविष्य

Block-02 बागों में लगाये जाने वाले पौधों के प्रकार
- Unit -01 - फल
- Unit -02 - सब्जिंया
- Unit -03 - पुष्प एवं अन्य सजावटी पौधे

CPIG -02 - फल, सब्जी एवं पुष्पों की खेती

Block-01 – फलों की खेती
- Unit -01 - फलों की खेती हेतु उपयुक्त मृदा एवं जलवायु
- Unit -02 - फल उत्पादन की विधियां एवं रखरखाव

Block-02 सब्जियों की खेती
- Unit -01 - सब्जियों की खेती हेतु उपयुक्त मृदा एवं जलवायु
- Unit -02 - सब्जियों की खेती की विधियां एवं रखरखाव

Block-03 पुष्पों एवं अन्य सजावटी पौधों की खेती
- Unit -01 - पुष्पों की खेती एवं रखरखाव
- Unit -02 - अन्य सजावटी पौधों की खेती एवं रखरखाव

CPIG -03 - पौधशाला व्यवस्थापन एवं प्रबन्धन

Block-01 – पौधशाला : एक परिचय
- Unit -01 - पौधशाला की परिभाषा एवं महत्व
- Unit -02 - पौधशाला के प्रकार एवं घटक
- Unit -03 - पौधशाला के उपकरण एवं साफ सफाई

Block-02 पौधे तैयार करने के माध्यम
- Unit -01 - क्यारी, गमले, पॉलिथीन थैली, प्लास्टिक ट्रे एवं अन्य
- Unit -02 - माध्यम एवं उनके तैयारी की विधियां

Block-03 प्रसारण की विधियां
- Unit -01 - बीज प्रसारण : परिभाषा, महत्व एवं प्रकार
- Unit -02 - लैंगिक एवं अलैंगिक प्रसार विधियां
- Unit -03 - पौधों का व्यवसायिक प्रसारण

CPIG -04 - वाटिका व्यवस्थापन : सर्वेक्षण आधारित प्रायोगिक कार्य रिपोर्ट

– 10 दिवसीय सर्वे कार्य की आख्या (Report) जिनमें निम्न बिन्दु समाहित हो;

1. सर्वे किये गये वाटिका का प्रकार
   - गृह वाटिका/लॉन
   - संस्थागत उद्यान
   - सार्वजनिक उद्यान/ पार्क
2. लगाये गये पौधों के प्रकार
3. पौधे प्राप्त करने के स्थान
4. सिंचाई व्यवस्था
5. खाद एवं अन्य व्यवस्था
6. रखरखाव करने का तरीका
   - स्वयं रखरखाव करना
   - माली द्वारा कराना आदि

सर्वे रिपोर्ट सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र के समन्वयक द्वारा सत्यापित कर निदेशक कृषि विज्ञान विद्याशाखा के विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित कार्यालय के दो प्रतियों में प्रेषित की जायेगी। जिसका मूल्यांकन विश्वविद्यालय करायेगा।

नोटः– प्रारम्भिक चरण में पाठ्य सामग्री के रुप में पुस्तके प्रयोग की जायेगीं।

प्रस्तावित पुस्तकें :–

1. उद्यान नर्सरी – आयोजन एवं कार्य प्रणाली : लेखक – श्याम सुन्दर श्रीवास्तव
   प्रकाशक– किताब महल एजेन्सीज़ 22, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद
2. आधुनिक शाक एवं पुष्प उत्पादन : लेखक – जी0एस0 सैनी
   प्रकाशक– रामा पब्लिशिंग हाउस, अग्रवाल कालोनी (राम लीला मैदान के सामने) दिल्ली रोड़, मेरठ (उ0प्र0)
3. फलोत्पादन – लेखक – डॉ0 हरेन्द्र सिसेठी एवं डॉ0 कृष्ण पाल सिंह
   प्रकाशक – भारती भण्डार, 6 सुनील काम्प्लैक्स, बैस्टर्न कचहरी रोड़, मेरठ, (उ0प्र0)

Diploma in Watershed Management (DWM)

Minimum Duration: 1 Year
Maximum Duration: 3 Years
Course Fee: Rs 11,000

Eligibility:
10+2(Senior Secondary) Pass Outs or equivalent

Introduction:

Unprecedented population pressure and increase in demand of scarce land, water and biological resources and increasing degradation of these resources are adversely affecting the stability and resilience of our ecosystems and the environment leading to wastelands. Wasteland development is of great significance to realize the full potential of the available land resource and avert its further degradation. Watershed development holds the key to confront these problems. The government is implementing watershed development programmes through the Programme Implementation Agencies (PIAs) which are not fully equipped with the technically trained personnels in different aspects of watershed development/ management. There is an urgent need of qualified persons, well versed in various aspects of watershed management including project processing, review, monitoring and evaluation. This will lead to qualitative transformation of important activities in watershed projects.

Programme Preview:

The Diploma Programme in Watershed Management aims at developing competent human resource in the field of Watershed Development/Management. It intends to impart basic knowledge and skills for water harvesting, conservation and utilization, soil erosion and its management, integrated farming systems including crop husbandry, animal husbandry, agro-forestry, fish farming, funding, monitoring, evaluation and capacity building of watershed programmes besides extension and communication skills for long term socio-economic development of the society. It will provide the basic understanding of various activities undertaken during the development of watershed programmes. The programme also intends to address the workforce requirement of the watershed management and focus on upgrading the knowledge and skills of existing personnel in the watershed development.

Objectives:

The basic objective of the diploma programme is capacity building and developing human resource in different aspects of watershed management for overall socio-economic development of rainfed regions faced with low agricultural productivity and economic deprivation. However, the specific objectives of the programme are as under:

- Introduce the principles of the watershed management approach and the value of working at a watershed;
- Generate awareness about the importance of sustainable development and maintenance of natural resources;

- Delineate different techniques for accessing and predicting physical, chemical and socio-economic conditions within a watershed including water quality;
- Mobilization and capacity building of rural youth, women and landless;
- Develop skills for development of small scale irrigation and water supply structures for human being and livestock through water and soil conservation strategies; and
- Develop human resource in watershed development and management.

Programme Structure:

Semester	Course Code		Title of the course	Credits
	IGNOU Code	UPRTOU Code		
Semester-I	BNRI-101	DWM-01	Fundamental of Watershed Management	4
	BNRI-102	DWM-02	Elements of Hydrology	4
	BNRI-103	DWM-03	Soil and Water Conservation	4
	BNRI-104	DWM-04	Rainfed Farming	4
	Total Credit in Semester-I			16
Semester-II	BNRI-105	DWM-05	Livestock and Pasture Management	4
	BNRI-106	DWM-06	Horticulture and Agro-Forestry System	4
	BNRI-107	DWM-07	Funding, Monitoring, Evaluation and Capacity Building	4
	BNRP-108	DWM-08	Project Formulation	4
	Total Credit in Semester-II			16
Total Credit in both the Semesters				32

Study Center:

Colleges/Institutions running degree programmes of studies in Agriculture stream, KGKs and KVKs would be given recognition to offer this programme.

Note:

This programme has been developed by IGNOU in collaboration with the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, Govt of India. School Board of Agricultural Sciences of UPRTOU has proposed to run this programme as such keeping in view the uniformity of syllabus in open universities. However the practical and projects will be based on the local conditions of UP state. In beginning the study materials of IGNOU is proposed to be used to start the programme else the books available in market will be used.

संलग्नक - 08

Certificate Programme
Nursing Assistance & Geriatric Care Assistance

Programme Code:--------- Programme Duration: Minimum : 06 Months Maximum : 2 Years

Medium of Instruction : English Programme Fee : 5000/-

Minimum Qualification for Admission : 10+2 or Equivalent Assignment Work : Not Essential

Programme Code and Description

Course Code	Title of the Course	Credits
NAGCA-01	Nursing Assistance	4
NAGCA-02	Geriatric Care Assistance	4
NAGCA-03	Practical -01	6
NAGCA-04	Practical -02	6
Total Credit		**20**

NAGCA -01

Module- I

Nursing Assistance

Contents

Unit	Title
1	Introduction to Nursing Assistance
2	Communication Skills
3	Understanding Human Body Part A
4	Understanding Human Body Part B
5	Nutrition and Balanced Diet
6	Health and Hygiene
7	Infection Control
8	Basic Nursing Procedure

NAGCA -02

Module- II
Geriatric Care Assistance
Contents

Unit	Title
1	Introduction to Gerontology and Geriatric Care
2	Communication Skills for Special Groups
3	Functional Needs of Elderly
4	Management of Ailments and Diseases
5	Fall Risk and Prevention
6	Assistive Technology
7	Rights of the Elderly
8	End of Life Care

NAGCA -04

Geriatric Care Assistance

PRACTICAL

NAGCA -03

NURSING ASSISTANCE

PRACTICAL

(18)

संलग्नक - 09

विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ.यू/1581/2017 सम्बन्धी बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ.यू/1581/2017 के संदर्भ में 'मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य' प्रश्नपत्र अनिवार्य एवं वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के रूप में स्नातक स्तर पर संचालित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त निदेशकों की एक बैठक समाज विज्ञान विद्याशाखा में दिनांक 13 फरवरी 2017 को अपराह्न 3:30 बजे आयोजित की गयी जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय कर निम्न संस्तुतियाँ की गई –

1. परास्नातक स्तर पर पर पूर्व से ही आधार पाठ्यक्रम 'मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य' संचालित है।

2. प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् संस्तुति की गई कि **स्नातक स्तर पर भी वैकल्पिक आधार पाठ्क्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में 'मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य' विषय को एक प्रश्नपत्र के रूप में पूर्व में निर्धारित प्रश्न पत्र 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम' (UGFST) के साथ अथवा विकल्प के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।**

13/2/17
प्रो. पी.के. पाण्डेय
निदेशक,
शिक्षा विद्याशाखा

13/2/17
डॉ. ओम जी गुप्ता
निदेशक
प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा

डॉ. वी.पी. दुबे
निदेशक
कृषि विज्ञान विद्याशाखा

13.2.17
डॉ. आर.पी.एस. यादव
निदेशक
मानविकी विद्याशाखा

13.2.17
डॉ. आशुतोष गुप्ता
निदेशक
विज्ञान विद्याशाखा

IH Tiwari 13-2-2017
डॉ. इति तिवारी
प्रभारी
समाज विज्ञान विद्याशाखा

(17)

स्नातक स्तर वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम
मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य

खण्ड : 01 – मानव अधिकार ऐतिहासिक एवं सैद्धान्तिक संदर्भ में।

इकाई : 01. मानव अधिकार का अर्थ एवं प्रकृति

इकाई : 02. मानव अधिकार का इतिहास

इकाई : 03. मानव अधिकार आंदोलन

खण्ड : 02 – भारतीय संविधान

इकाई : 01. प्रस्तावना

इकाई : 02. नीति निर्देशक सिद्धान्त

इकाई : 03. मूल अधिकार एवं मौलिक कर्त्तव्य

खण्ड : 03 – मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य

इकाई : 01. मौलिक तत्व (राज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय)

इकाई : 02. अधिकार और कर्त्तव्य के बीच संतुलन

इकाई : 03. मानव अधिकार की चुनौतियां एवं समाधान

DSinastava

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संलग्नक - 10

अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों कों दिये जाने वाले मानदेय की दर संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 03–04–2017 की कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों कों दिये जाने वाले मानदेय की दर संशोधन हेतु पत्र संख्या ओ.यू./वित्त/4723/2017 दिनांक 01–04–2017 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 03–04–2017 को आहुत की गई । इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	श्री. एस.पी. सिंह, वित्त अधिकारी	संयोजक
2.	डॉ. आर.के. पाण्डेय, कुलसचिव	सदस्य
3.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा	सदस्य
4.	डॉ. पी.के. पाण्डेय, प्रभारी, शिक्षा विद्याशाखा	सदस्य
5.	डॉ. इति तिवारी, प्रभारी, अध्ययन केन्द्र	सदस्य
6.	डॉ. जी. के. द्विवेदी, परीक्षा नियत्रंक/प्रवेश प्रभारी	सदस्य

समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मिति से मानदेय के दरों को निम्नलिखित प्रस्तावित किया :–

क. *ऐसे केन्द्र जहॉ शिक्षार्थियों की संख्या 15 से 49 तक हो तथा शुल्क से आय रु. 50,000/– से 1,00,000/– तक हो एवं ऐसे केन्द्र जहॉ शिक्षार्थियों की संख्या 15 से 29 तक हो तथा शुल्क से आय रु. 1,00,000/– से अधिक हो :*

	वर्तमान दर				दिनांक 01–07–2017 से प्रस्तावित दर		
क्र.सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग
1	प्राचार्य	300.00	700.00	1000.00	350.00	850.00	1200.00
2	समन्वयक	400.00	1400.00	1800.00	450.00	1650.00	2100.00
3	कार्यालय सहायक	.....	600.00	600.00	.....	700.00	700.00
4	कार्यालय परिचर	.....	500.00	500.00	.....	600.00	600.00

ख. ऐसे केन्द्र जहॉ शिक्षार्थियों की संख्या 30 से 49 तक हो तथा शुल्क से आय रु. 1,00,000/– से अधिक हो एवं ऐसे केन्द्र जहॉ शिक्षार्थियों की संख्या 50 से 200 तक हो :

	वर्तमान दर				दिनांक 01–07–2017 से प्रस्तावित दर		
क्र.सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग
1	प्राचार्य	400.00	800.00	1200.00	450.00	950.00	1400.00
2	समन्वयक	600.00	1600.00	2200.00	700.00	1850.00	2550.00
3	कार्यालय सहायक	.....	750.00	750.00	.....	900.00	900.00
4	कार्यालय परिचर	.....	600.00	600.00	.....	700.00	700.00
5	स्वच्छता कर्मचारी	.....	600.00	600.00	.....	700.00	700.00

Iti Tiwari

ग. ऐसे केन्द्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 201 से 500 तक हो :

वर्तमान दर					दिनांक 01–07–2017 से प्रस्तावित दर		
क्र.सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग
1	प्राचार्य	400.00	900.00	1300.00	450.00	1050.00	1500.00
2	समन्वयक	700.00	1800.00	2500.00	800.00	2100.00	2900.00
3	सहायक समन्वयक	400.00	900.00	1300.00	450.00	1050.00	1500.00
4	कार्यालय सहायक (दो)	....	750.00 प्रति	750.00 प्रति	......	900.00 प्रति	900.00 प्रति
5	कार्यालय परिचर (दो)	....	600.00 प्रति	600.00 प्रति	......	700.00 प्रति	700.00 प्रति
6	स्वच्छता कर्मचारी	....	600.00	600.00	.....	700.00	700.00

घ. ऐसे केन्द्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक हो :

वर्तमान दर					दिनांक 01–07–2017 से प्रस्तावित दर		
क्र.सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग
1	प्राचार्य	500.00	1000.00	1500.00	550.00	1150.00	1700.00
2	समन्वयक	900.00	2100.00	3000.00	1000.00	2500.00	3500.00
3	सहायक समन्वयक	500.00	1000.00	1500.00	550.00	1150.00	1700.00
4	कार्यालय सहायक (दो)	....	800.00 प्रति	800.00 प्रति	......	950.00 प्रति	950.00 प्रति
5	कार्यालय परिचर (दो)	....	700.00 प्रति	700.00 प्रति	......	800.00 प्रति	800.00 प्रति
6	स्वच्छता कर्मचारी	....	700.00	700.00	.....	800.00	800.00

नोट :– बी.एड. एवं बी.एड. (स्पेशल) के केन्द्रों को मानदेय उपरोक्त श्रेणी 'ख' के अनुसार देय होगा।

आर.के. पाण्डेय, सदस्य

डॉ. आर.पी.एस. यादव, सदस्य

31/5/17
डॉ. पी.के. पाण्डेय, सदस्य

Iti Tiwari
डॉ. इति तिवारी सदस्य

डॉ. जी.के. द्विवेदी सदस्य

श्री. एस.पी. सिंह संयोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय

प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर 9

वृन्दावन योजना लखनऊ।

IS 15700

SQMS

संख्या 1937 /सं0प्र0 वृन्दावन/ दिनांक 16-3-2017

पंजीकृत डाक

/अनन्तिम–पत्र

सेवा मे,

कुल सचिव,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर–एफ)
फाफामऊ इलाहाबाद–211021

विषयः परिषद की वृन्दावन योजना,लखनऊ मे उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ को कार्यालय हेतु संस्थागत भूखण्ड संख्या–10A/INS-04 क्षेत्रफल 1000.48 वर्ग मीटर आवंटन के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको सूचित करना है कि परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के अन्तर्गत संस्थागत भूखण्ड संख्या–10A/INS-04 हेतु अपने पत्र संख्या 94/ल0जो0/88 (तृतीय)/ टीसी–1 दिनांक 23.01.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–3 के कार्यालय टिप्पणी एवं उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट व पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) के पत्र संख्या–191/ सं0प्र0–3/1589/2017/3689 दिनांक 27.02.2017 द्वारा संस्थागत भूखण्ड संख्या–10A/INS-04 का प्रदेशन–पत्र निर्गत किये जाने के आदेश दिये गये है।

अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन मे संस्थागत भूखण्ड संख्या–10A/INS-04 का प्रदेशन–पत्र आपके पक्ष में अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है :–

(1)	संस्थागत भूखण्ड संख्या–10A/INS-04 का क्षेत्रफल	1000.48 व0मी0
(क)	संस्थागत भूखण्ड हेतु निर्धारित दर प्रति वर्ग मी0	रू0 26880.00 प्र0व0मी0
(ख)	भूखण्ड का कुल मूल्य (फ्री–होल्ड शुल्क सहित)	रू0 26892902.00
(ग)	टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि	रू0 1845910.00
(घ)	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 45% धनराशि जो दिनांक 30.06.2017 तक देय है (जिसमें टोकन धनराशि समायोजित है)	रू0 10255896.00
(ड.)	स्वीकृत मूल्य की शेष 55% धनराशि की 11% ब्याज सहित 60 मासिक किश्तें जो दिनांक 01.07.2017 से देय होगी	रू0 14791096.00
(1)	प्रत्येक मासिक किश्त की धनराशि	रू0 321559.00

(2) मासिक किश्तों की संख्या–60

(3) मासिक किश्त प्रत्येक मास के प्रथम दिनांक से देय होगी।

(4) जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसका भी भुगतान करना होगा।

(5) विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क,नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता संस्थान को कराना होगा।

(6) प्रदेशन ग्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। भूखण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो प्रदेशन सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त करते हुये एवं नियमानुसार अन्य कटौतियॉ करते हुये निरस्त किया जायेगा।

(7) संस्थागत भूखण्डों के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर बनाये गये आदेश/नियम भी प्रदेशन ग्रहीता पर लागू होगें। किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश पर परिषद किसी हर्जे या ब्याज का देनदार नहीं होगा।

(8) प्रदेशन ग्रहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदानुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जायेगा।

क्रमशः 2 पर

कब्जे हेतु औपचारिकताये

नोट:-

(1) संस्थान द्वारा अनुबन्ध कब्जे हेतु अधिकृत व्यक्ति की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी प्रमाणित हो तथा प्रमाणित करते द्वारा प्रदर्शन सहित का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्त में हो तथा चार फोटो ग्राफ पासपोर्ट साईज बिना प्रमाणित।

(2) रू0 100/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।

(3) अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु शासनादेशानुसार स्टाम्प पेपर जो शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तनीय है।

(4) भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 45% जमा करने के पश्चात रजिस्टर्ड अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात हस्तगत जा सकेगा।

(5) अनुबन्ध/विकय विलेख हेतु रू0 300.00 रू0 50.00 फ्री-होल्ड पुस्तिका हेतु व रू0 100.00 साईट प्लान एवं विज्ञापन व रू0 677233.00 पंजाब नेशनल बैंक,वृन्दावन योजना लखनऊ में परिषद के खाता संख्या-CA-21432 में दिनांक 30.06 तक जमा करने का कष्ट करें।

(6) कब्जा हेतु दिनांक 30.06.2017 तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने का कष्ट करें अन्यथा परिषद नियमानुसार 01.07.2017 से रू0 100.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

(7) मासिक किश्तो की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक विस्तार पटल शाखा वृन्दावन योजना लखनऊ में परिषद के खाता संख्या 1269 में जमा कर जमा की गयी धनराशि की अग्रिम प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(8) तीन नग साईट प्लान अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-31, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

((9) संस्थागत भूखण्डों मे निम्नलिखित गतिविधियों अनुमन्य की जा सकती है, राजकीय, अर्धराजकीय कार्यालय, निजी कार्यालय अनुसंधान/विकास/शोध केन्द्र, राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के जोनल/रीजनल कार्यालय (एक ब्रान्च सहित) बारात घर के हाल उच्च तकनीकी संस्थान, प्रबन्ध संस्थान, उच्च माध्यमिक/इण्टर कालेज, महाविद्यालय, पालीटेकनिक, मेडिकल/डेन्ट कालेज/अस्पताल/स्वास्थ केन्द्र/परिवार कल्याण केन्द्र, टेलिफोन कार्यालय/केन्द्र टेलीवीजन केन्द्र सभा भवन योग-मनन-प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन, धार्मिक भवन, समाजिक एवं संस्कृति संस्थान/केन्द्र संगीत/नृत्य नाट्य प्रशिक्षण/ केन्द्र पुस्तकालय, क्लब खेल-कूद केन्द्र साईबर कैफे आदि वह सभी उपयोग जो आवासीय तथा व्यवसायिक श्रेणी के अन्तर्ग आते हों।

(10) परिषद अथवा शासन द्वारा समय-समय पर संस्थागत भूखण्डों के सम्बन्ध मे बनाये गये नियम व शर्ते क्रेता को मान्य किसी सक्षम न्यायालय के स्थगत आदेश पर परिषद किसी हर्जे या ब्याज का देनदार नही होगा।

(11) आवंटी द्वारा विद्युत भार की आवश्यकता के सापेक्ष आपूर्ति एवं संयोजन समस्त व्यवस्था अपने व्यय पर उ0प्र0 पावर कारपो से प्राप्त की जायेगी। भूखण्ड की विद्युत व्यवस्था के लिए आवास एवं विकास परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नही की जायेगी।

(12) आयकर अधिनियम-1961 की धारा-194-1ए के अनुसार प्रत्येक जमा की जाने वाली धनराषि पर 1 (एक)प्रतिशत आयकर रूप में काटकर परिषद के पैन नं0-AAAJU0103A पर आपको जमा करना होगा। विलम्ब की दशा में आयकर विभ प्रावधानों के अनुसार ब्याज भी देय होगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। दण्ड ब्याज की देनदारी परिषद की नहीं होगी।

भवदीय,

(हेतम पाल सिंह)
सम्पत्ति प्रबन्धक

कार्यवृत्त

आज दिनांक 10.04.2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे मानविकी विद्याशाखा के स्कूल बोर्ड की बैठक निदेशक, मानविकी विद्याशाखा के कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक मे निम्न सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. आर.पी.एस.यादव निदेशक, मानविकी विद्याशाखा	–	अध्यक्ष
2. डॉ. रुचि बाजपेई असि. प्रोफेसर मानविकी विद्याशाखा	–	सदस्य
3. डॉ. साधना श्रीवास्तव असि. प्रोफेसर, मानविकी विद्याशाखा	–	सदस्य
4. डॉ. आशुतोष गुप्ता निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
5. डॉ. राम जी मिश्र परामर्शदाता	–	विशेष आमंत्रित सदस्य

बैठक में निदेशक द्वारा सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात Diploma in Printing Technology कार्यक्रम चलाए जाने पर विचार किया गया तदोपरान्त बैठक में निम्न संस्तुतियाँ की गई–

- शिक्षार्थियों द्वारा Printing Technology के पाठ्यक्रम चलाए जाने को लेकर लगातार अनुरोध किया जाता रहा है अतः आगामी सत्र से Diploma in Printing Technology का पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त संस्तुति की गई।
- यह कार्यक्रम मानविकी विद्याशाखा एवं विज्ञान विद्याशाखा के संयुक्त सहयोग द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
- सदस्यों ने इस कार्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना एवम् इसके विस्तृत पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से प्रारम्भ किये जाने की संस्तुति की। (पाठ्यक्रम संरचना संलग्न है।)
- इस पाठ्यक्रम को उन्हीं अध्ययन केन्द्रों पर प्रारम्भ किया जाए जहाँ पर पहले से ही सम्बन्धी पाठ्यक्रम एवम् प्रयोगात्मक कार्य संचालित हो रहे हैं।
- पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने की सूचना AICTE New Delhi को प्रेषित की जाए।

अंत में निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

10.4.17
डॉ. आर.पी.एस.यादव

10.04.17
डॉ.रुचि बाजपेई

Sadhna Srivastava
डॉ. साधना श्रीवास्तव 10.04.17

10.4.17
डॉ. आशुतोष गुप्ता

डॉ. रामजी मिश्र

Diploma in Printing Technology

Programme Code –
Medium of Instruction- English
Minimum Qualification- 10+2 (Science)

Programme Duration – 2 years
Programme Fee - 10000/- Per Year
Assignment - Not Essential

Course Code and Details

Year/ Semester	Course Code	Title of the Course	Credits
1/1	DPT-01	Communication Techniques	3
1/1	DPT-02	Applied Mathematics	3
1/1	DPT-03	Applied Chemistry	3
1/1	DPT-04	Applied Physics	3
1/1	DPT-05	Printing Processes	3
1/1	DPT-06	Printing Material Science	3
		Total Credit	18

Year/ Semester	Course Code	Title of the Course	Credits
1/2	DPT-07	Basics of Information & Technology	3
1/2	DPT-08	Graphic Design	3
1/2	DPT-09	Engineering drawing	3
1/2	DPT-10	Basic Mechanical Engineering	3
1/2	DPT-11	Basic Electrical & Electronics Engineering	3
1/2	DPT-12	Book Publishing	3
1/2	DPT-13	Typesetting Technology	3
		Total Credit	21

Year/ Semester	Course Code	Title of the Course	Credits
1/3	DPT-14	Packaging Technology	3
1/3	DPT-15	Digital Change Processing	3
1/3	DPT-16	Reproduction Photography	3
1/3	DPT-17	Surface Preparation	2
1/3	DPT-18	Binding & Finishing	2
1/3	DPT-19	Business Management	3
1/3	DPT-20	Costuming & Estimating	3
1/3	DPT-21	Press work	2
		Total Credit	21

Year/ Semester	Course Code	Title of the Course	Credits
1/4	DPT-22	Surface Preparation	2
1/4	DPT-23	Binding & Finishing	2
1/4	DPT-24	Entrepreneurship Development	3
1/4	DPT-25	Environmental studies	3
1/4	DPT-26	Press work	2
1/4	DPT-27	Printing equipment maintenance	3
1/4	DPT-28	Project work cum Industrial Training	5
		Total Credit	20
Total Credit (Semester I+II+III+IV)			80